कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वर्ष 56 अंक : 11 सितम्बर 2010 मूल्य : 10 रुपये

सब पढ़ें सब बढ़ें

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य अंश

- विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बेहतर हो गई है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है।
- आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हम अनुकरण के लिए अनेक देशों के वास्ते उदाहरण बन चुके हैं।
- हमारे नागरिकों को यह अधिकार है कि उनकी आवाज सुनी जाए। हमारे देश को पूरी दुनिया में आदर के साथ देखा जाता है।
- हमारे श्रमिकों, दस्तकारों और किसानों की मेहनत ने हमारे देश को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं खासतौर पर अपने सैनिकों को सलाम करता हूं जिनकी बहादुरी हमारी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हर नागरिक की भागीदारी होगी; एक ऐसा भारत जो समृद्ध होगा और जिसमें सभी नागरिक सम्मान और प्रतिष्ठा का जीवन जीने में समर्थ होंगे; एक ऐसा भारत जहां सभी समस्याएं लोकतांत्रिक तरीकों से हल की जाएंगी; ऐसा भारत जिसमें हर नागरिक के बुनियादी अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
- पिछले कुछ वर्षों में हमने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर नागरिक को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार का आश्वासन हासिल है। सूचना का अधिकार कानून ज्यादा जागरूक बनने में हमारे नागरिकों की मदद कर रहा है।
- इस साल हमारी सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया है जो हर भारतीय को देश की आर्थिक प्रगति के लाभ में हिस्सा दिलाने और इसमें योगदान भी करने में मदद करेगा।
- हमारे देश में महिलाओं की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रयास शुरू किए हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
- पिछले कुछ वर्षों में हमारी कृषि की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से अभी दूर हैं। हमें कृषि की विकास दर 4 प्रतिशत करने की ज़रूरत है।
- हमारी सरकार ऐसी खाद्यसुरक्षा चाहती है जिसमें हमारा कोई भी नागरिक भूखा न रहे। इसके लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है जो सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने से ही संभव है।
- हमें ऐसी प्रौद्योगिकी की जरूरत है जो बारानी खेती की जरूरतें पूरी करेगी। इसके अलावा हमारी कृषि को जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी की गुणवत्ता में क्षय जैसी नई चुनौतियों से निपटने में भी समर्थ होना चाहिए।
- हमने हमेशा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के प्रयास किए हैं ताकि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हों लेकिन किसानों को उच्च मूल्य उपलब्ध कराने का एक प्रभाव यह है कि खुले बाजार में भी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं।
- यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझदारी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करें ताकि हमारा विकास भविष्य में भारी ऋण के बोझ से बुरी तरह प्रभावित न हो।
- हम चाहते हैं कि विकास के फायदे आम आदमी तक पहुंचें। हम अब भी गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक, महिलाओं और हमारे समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- पिछले 6 सालों से हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारा यह प्रयास है कि हर बच्चे को चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह समाज से किसी भी तबके का हो, ऐसी शिक्षा मिले, जिससे उसकी शख्सियत का सही विकास हो सके और वह देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके।
- उच्च शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्रों में दो अलग–अलग आयोग गठित किए जाने के लिए हमारी सरकार जल्द ही संसद में विधायक लाएगी ताकि इन क्षेत्रों में और सुधार हो सके।
- हमारे नागरिकों की अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ही काफी नहीं हैं। हमें अपने गावों, कस्बों और शहरों को साफ–सुथरा रखना चाहिए।
- हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सावधानी और किफायत से करना चाहिए।
- हमारा यह भी प्रयास है कि हमारे आदिवासी भाई–बहन देश के विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उनसे जो जमीन विकास की योजनाओं के लिए ली जाती है, उसके बदले में उचित मुआवजे के साथ इन क्षेत्रों के विकास में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

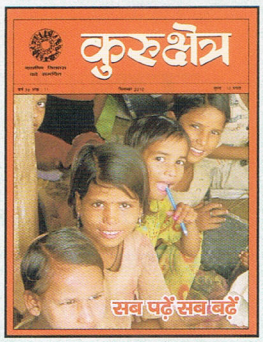

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 56 ★ मासिक अंक : 11 ★ पृष्ठ : 48 ★ भाद्रपद–आश्विन 1932 ★ सितम्बर 2010

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com
संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in
आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये
वार्षिक शुल्क : 100 रुपये
द्विवार्षिक : 180 रुपये
त्रिवार्षिक : 250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

कमजोर नींव पर खड़ा उच्च शिक्षा का सपना — अदिति शर्मा — 3

शिक्षा की मिसाल बनी बूढ़वाल ग्राम पंचायत — डॉ. ब्रह्मप्रकाश यादव — 8

शिक्षा मानव विकास का आधार स्तंभ — डॉ. नीरज कुमार गौतम — 10

बालिका शिक्षा से ही होगा देश का विकास — कुसुमलता सिंह — 15

यूं बदला उत्तर प्रदेश के एक गांव का शैक्षिक वातावरण — जौहर अली — 19

हुनर शिक्षा के साथ रोजगार के लिए सामुदायिक महाविद्यालय — भावना श्रीवास्तव — 22

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा का प्रभाव — डॉ. सुनिता बोहरा — 26

ग्रामीण महिलाओं हेतु कुटीर उद्योग — डॉ. कविता जैन — 32

खेत में ही करें माइकोराइज़ा फफूंद का उत्पादन — गीता सिंह — 37

गुणों की खान है अदरक — साधना यादव — 41

सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन का आविष्कार — ओम मिश्रा — 46

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय

संस्कृत में एक श्लोक है – ज्ञानंतृतीय मनुजस्य नेत्र समस्त पदार्थ विलोम दक्षमः अर्थात् दो नेत्रों के देखने से जो अपूर्ण रह जाता है वह विद्यारूपी तृतीय नेत्र से देखा जाता है। शिक्षा मानव के विकास का प्रमुख आधार स्तंभ है जो उसे कुशल और प्रशिक्षित कर प्रगति के पथ पर ले जाती है। शिक्षित नागरिक ही समाज और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

भारतीय शिक्षा नीति में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है और 'सभी के लिए शिक्षा' को केंद्र में रखकर शिक्षा के विस्तार के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है। देश में प्रारंभ से ही यह प्रयास किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक –बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए। परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं का नामांकन जहां 1950–51 में केवल 42.6 था, वह 2004–05 में बढ़कर 107.8 प्रतिशत हो गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बालकों का नामांकन अनुपात 110.7 और बालिकाओं का 104.7 है। बालक–बालिकाओं के नामांकन में हुई यह वृद्धि पिछले दशकों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का परिणाम है।

भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए गंभीर प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में साक्षरता दर (पांच वर्ष और उससे ऊपर) जो 1951 में 18.33 प्रतिशत थी, 1991 में बढ़कर 52.21 प्रतिशत हो गई और अब लगभग 68 प्रतिशत है हालांकि वर्तमान की सही तस्वीर वर्ष 2011 की जनगणना से ही स्पष्ट होगी। किंतु इसमें महिला साक्षरता दर 55 प्रतिशत और ग्रामीण महिला साक्षरता दर मात्र 44.5 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा अर्जित करने वाली ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत तो बेहद ही कम करीब एक प्रतिशत ही है।

देश में व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमें मध्य प्रदेश सरकार की गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना और विक्रमादित्य योजना उल्लेखनीय हैं। देश में प्रौढ़ शिक्षा जनसंख्या में निरक्षरता को दूर करने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं।

शिक्षा क्षेत्र में विस्तार के तमाम आंकड़ों के बावजूद आज भी भारत की साक्षरता दर तीसरी दुनिया के देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका एक प्रमुख कारण भारत के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावशाली होना है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के चलते भी भारत के शैक्षिक कार्यक्रम उतने सफल नहीं हो पाते और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे खासतौर से महिलाएं। ग्रामीण महिलाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में अनेक सांस्कृतिक और परंपरावादी बाधाएं हैं जो उन्हें आगे पढ़ने–बढ़ने से रोकती हैं।

हालांकि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं हेतु उच्च शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है और सरकार ने भी देश के विकास और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षित महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है किंतु ग्रामीण महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे लाने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज जब सुनियोजित आर्थिक विकास में समस्त सामाजिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है तब शिक्षा को आर्थिक विकास की उपेक्षाओं के अनुरूप ढालना भी समय की मांग है।

शैक्षणिक ऋण नीति में भी काफी बदलाव की जरूरत है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ग्रामीण गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह ऋण की कड़ी शर्तें, जागरुकता की कमी और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं नहीं होना है। सरकार को चाहिए कि वह शैक्षणिक ऋण के संदर्भ में बैंकों के सहयोग से जागरुकता कार्यक्रम चलाए ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका फायदा उठा सकें। गरीब छात्रों के लिए ब्याज दर कम रखने के साथ–साथ कम से कम कागजी कार्यवाही सुनिश्चित करना जरूरी है।

कमजोर नींव पर खड़ा उच्च शिक्षा का सपना

अदिति शर्मा

आज हम प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू कम अथवा ज्यादा प्रौद्योगिकी से प्रभावित है। भारत में प्रौद्योगिकी विकासशील अवस्था में है किन्तु हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के 60 वर्षों में जितनी उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली, उतना अनेक देशों ने सोचा भी नहीं होगा। यह बात भारत के लिए बहुत मायने रखती है। किन्तु ग्रामीण भारत आज भी इस उपलब्धि से काफी हद तक अछूता ही है। लेखक ने ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च शिक्षा से वंचित रहने के कारणों पर विमर्श किया है।

"भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की समस्या प्राथमिक शिक्षा की वर्षों पुरानी पद्धति और नौकरशाही की शिकार होने के कारण पैदा हुई है, जो वास्तव में शर्मनाक है।" ये शब्द केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक कृष्ण कुमार के हैं जिनके विचारों से भारत के अनेक शिक्षाविद् सहमत हैं। तीसरी दुनिया के देशों की तुलना में विश्व की दूसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे भारत की साक्षरता

दर बहुत कम है। भारत के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम अन्य देशों जितने प्रभावशाली नहीं हैं। अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के कारण भारत के शैक्षिक कार्यक्रम उतने सफल नहीं हो पाते और इनकी सबसे ज्यादा मार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों पर पड़ती है। बच्चों और शिक्षकों की सोच के कारण भी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सरकारी धन का आबंटन और साधनविहीन ग्रामीण विद्यालयों की स्थिति भी ग्रामीण बच्चों की घटिया स्तर की शिक्षा के लिए जिम्मेदार है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर बच्चे दयनीय परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 50 प्रतिशत बच्चे पांचवीं कक्षा तक स्कूल जाना छोड़ देते हैं। इन बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण गरीबी, पढ़ाई के प्रति रुचि का अभाव, आसपास का परिवेश और खेती के काम में लोगों की जरूरत आदि अनेक प्रमुख कारण हैं। स्कूल छोड़ने वालों में बालिकाओं का प्रतिशत अधिक है। अधिकतर लड़कियां माता–पिता के दबाव, घरेलू काम और परिवार के प्रति स्वाभाविक झुकाव के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। स्कूलों का गांव से दूर होना और अशिक्षित माता–पिता होना भी इसके अन्य कारण हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए भी स्कूलों में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उनका शैक्षिक स्तर शहरों और कस्बों में रहने वाले बच्चों की तुलना में घटिया ही रहता है। कमरों का अभाव, बिजली की व्यवस्था न होना तथा शिक्षकों का अभाव होने से ग्रामीण बच्चे गुणवत्तायुक्त शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जिसके कारण उनकी शिक्षा की नींव ही कमजोर रह जाती है।

शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे गुगल को सर्च करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ बच्चों ने तो इस क्षेत्र में काफी महारत हासिल कर ली है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनेक बच्चे देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अभी तक कम्प्यूटर देखा भी नहीं है। कुछ स्कूलों में यदि कम्प्यूटर है भी तो वह या तो चलने की स्थिति में नहीं है या सिखाने वाला नहीं है। आज शहरी स्कूलों में दृश्य–श्रव्य उपकरणों का उपयोग पढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सामूहिक शिक्षा दी जा रही है जहां बच्चे तत्काल अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। ये बातें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करने के इच्छुक बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फिर भी, यदि परिश्रम करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प हो तो साधारण–सा थैला उठाकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में जाने वाला भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, देश का प्रधानमंत्री और आर्थिक संकट में फंसे विश्व को सलाह देने वाला व्यक्ति बन सकता है।

उच्च शिक्षा के अवसर एवं स्थिति – विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा के लिए तैयार की गई क्षमता जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी और प्राथमिक स्कूलों के माहौल के साथ तालतेल नहीं बिठा सकी है। 1990 के दशक की शुरुआत में प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर करीब 2.4 करोड़ हो चुकी थी और अगर भारत को अमेरिका और जापान (और चीन) जैसे विकसित देशों का मुकाबला करना है तो इनमें से कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई करनी ही चाहिए। इसका अर्थ है कि 2010 में कॉलेजों में करीब 60 लाख सीटें होनी चाहिए थीं। इसके विपरीत कुल सीटों की संख्या 40 लाख से कम है और इनमें गुणवत्ता तथा भौगोलिक क्लस्टर को ध्यान में रखे बगैर सभी सीटों को शामिल किया गया है। अगर सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को तत्काल उदार नहीं बनाया और इस क्षेत्र में भारी मात्रा में सरकारी और निजी निवेश नहीं किया गया तो देश में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी अल्पशिक्षित ही रह जाएगी।

उच्च शिक्षा के कुछ खास क्षेत्रों में असामान्य विकास भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। उदाहरण के लिए निर्माण, बिजली, दूरसंचार और विनिर्माण जैसे ढांचागत क्षेत्रों में भारी निवेश की जरूरत के मद्देनजर भारत को बड़ी संख्या में इंजीनियरों की जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक प्रति वर्ष 3 लाख इंजीनियरिंग सीटें उपलब्ध हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर सीटें सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं जबकि सिविल, मेटेरियल, बायो–मेडिसन और औद्योगिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की सीटें काफी कम हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत हिस्से के बराबर है जबकि यहां एम.बी.ए. की करीब 50 प्रतिशत सीटें अधिक हैं।

इतना ही नहीं, अब यहां बी.बी.ए. की सीटों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही हैं। हम सभी कहते हैं कि अगले 20 वर्षों के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र में भारी निवेश किया जाएगा, लेकिन आर्किटेक्चर के लिए 5,000 से कम सीटें उपलब्ध हैं। इसी तरह औद्योगिक डिजाइन के लिए 1,000 से कम सीटें हैं। फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए 5,000 से अधिक सीटें हैं, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यह है कि इनमें से ज्यादातर फैशन डिजाइन स्नातक बाइंग हाउसों और कपड़ा निर्यात कंपनियों में चले जाते हैं, जहां वे कपड़ा और एक्सेसरीज डिजाइन करने को छोड़कर सब कुछ करते हैं। इस समय देश में करीब पांच लाख डॉक्टरों की कमी है (और यह संख्या लगातार बढ़ रही है), जबकि हर साल 40,000 नए छात्र पास होकर निकल रहे हैं।

हालांकि संभावनाओं के नए क्षितिज भी तैयार हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 1,000 अरब डॉलर से अधिक होने और देशभर में जनसांख्यिकीय उपभोग, जीवनशैली और शहरीकरण के तौर–तरीकों में बुनियादी बदलाव आने के साथ ही, व्हाइट कॉलर पेशेवर नौकरियों की प्रकृति में बेहद बुनियादी बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत के शीर्ष 10 क्षेत्रों की बात की जाए तो वर्ष 2009–2018 के दौरान केवल इन क्षेत्रों में ही स्नातक

और परा–स्नातक स्तर पर व्हाइट कॉलर श्रेणी के रोजगार के एक करोड़ मौके तैयार होंगे।

इनमें से केवल रिटेल और उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र में ही स्नातक और परा–स्नातक स्तर के 30 लाख नए रोजगार तैयार होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में करीब 15 लाख, इंजीनियरिंग क्षेत्र में 14 लाख, ऑटोमोटिव क्षेत्र में 14 लाख, दूरसंचार क्षेत्र में करीब 12 लाख और आई टी तथा आई टी ई एस क्षेत्र में 11 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, फिटनेस, आतिथ्य सत्कार और पर्यटन, शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण, मीडिया और मनोरंजन, यात्रा तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए अवसर तैयार होंगे।

इस तरह स्कूल स्तर पर पढ़ाई कर रहे छात्र आज इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून और अकाउंटिंग जैसे परंपरागत सुरक्षित कैरियर विकल्पों तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज बेहद आकर्षक कैरियर विकल्पों के तौर पर नई विधाएं मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर के लिए विशेषज्ञता प्राप्त स्नातक या परास्नातक डिग्री की जरुरत नहीं है बल्कि इसकी जगह कुछ रोजगारपरक प्रशिक्षण या छोटी अवधि के विशेषज्ञता प्राप्त पाठ्यक्रम उपयोगी साबित होते हैं।

मजबूरी का दोहन – भारत में हर साल लाखों छात्र स्कूलों से निकलते हैं जिन्हें स्नातक स्तर पर पढ़ाई के लिए उचित कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पाता। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने वर्ष 2007 में ही रिपोर्ट दी थी कि भारत के सभी नौजवानों को पढ़ाई कराने के लिए कम से कम 1500 विश्वविद्यालयों और 35,000 कॉलेजों की जरूरत है, जबकि हकीकत यह है कि देश में निजी और सरकारी मिलकर करीब 400 विश्वविद्यालय और 22,000 ही कॉलेज हैं। ज्ञान आयोग पर ही भरोसा करें तो देश को करीब 1100 ओर विश्वविद्यालयों तथा 13,000 ओर कॉलेजों की जरूरत है। यानी हमारा शिक्षा का ढांचा अभी लाखों विद्यार्थियों को दाखिला ही नहीं दे पा रहा है।

आंकड़ों का यह कड़वा सच और ज्ञान आयोग की रिपोर्ट से ही देसी अर्थशास्त्रियों और शिक्षाशास्त्रियों को उम्मीद थी कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में कोई मंदी नहीं आ पाएगी। यूं तो दुनिया की कामयाबी की दौड़ में शिक्षा की हमेशा से ही अहम भूमिका रही है, लेकिन उदारीकरण के बाद दुनियाभर में शिक्षा को लेकर जुनूनी ललक बढ़ गई है। फिर भारतीय मध्यवर्ग की खरीद क्षमता में वृद्धि ही हुई है। लिहाजा, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर उम्मीदों के दीये जलाना कोई बुरा भी नहीं था।

ज्ञान आयोग की रिपोर्ट और विश्वविद्यालयों की जरूरत को ही देखते हुए पिछली सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने निजी संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा देने के लिए नियमों में ढील दी। उनका दावा भले ही है कि इस फैसले का मकसद शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना था, लेकिन हकीकत यही है कि इन विश्वविद्यालयों को बनाने में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दो–दो कमरे में चलने वाले मामूली संस्थानों तक को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। उन संस्थानों को भी डीम्ड का दर्जा दे दिया गया, जो जरूरी अर्हताएं भी पूरी नहीं करते थे। फिर डीम्ड बनते ही ज्यादातर विश्वविद्यालयों का मकसद ही बदल गया। होना तो यह चाहिए था कि वे शिक्षा के जरिए पैसे कमाते, लेकिन उनका जोर पैसे कमाने पर बढ़ गया। यही वजह है कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने डीम्ड विश्वविद्यालयों को लेकर साफ कहा है कि ये विश्वविद्यालय सिर्फ पैसा कमाने वाली पारिवारिक कंपनियां बन गए हैं।

कपिल सिब्बल ने यशपाल समिति पर गौर फरमाते हुए इन विश्वविद्यालयों के स्तर की जांच के लिए टंडन समिति का गठन किया तत्पश्चात भारत के निजी शिक्षा उद्योग में आई तेजी पर ब्रेक लगने की शुरुआत हो गई। देश में इन दिनों 128 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं जिनमें से करीब 89 को पिछले कुछ साल में ही डीम्ड का दर्जा दिया गया है। इनमें सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्र के संस्थान शामिल हैं। टंडन कमेटी ने अपनी जांच के बाद इनमें से 44 के स्तर को लेकर सवाल उठाए हैं और उनकी मान्यता रद्द करने का सुझाव दिया है। जैसे ही यह सुझाव सामने आया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर अमल करने का ऐलान किया, उसी दिन इन विश्वविद्यालयों की रौनक कम होने की शुरुआत हो गई।

शिक्षा के बाजारीकरण पर अंकुश – यह सच है कि भारतीय टेलेंट का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन इस सच का एक दूसरा पक्ष भी है, जो एक दूसरा ही आईना दिखा रहा है। उच्च शिक्षा का मामला हो या फिर प्राथमिक शिक्षा, दोनों ही मामलों में भारत एक दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। उदारीकरण के बाद शिक्षा पर ध्यान दिए जाने की नीति के तहत जब पूरे देश में निजी और सरकारी डीम्ड विश्वविद्यालयों को खोलने की बहस चली तो माना गया कि यह देश के आर्थिक विकास को तेज करने में एक बड़ी धुरी की भूमिका निभाएगा। परंतु इसकी वास्तविकता आज जिस रूप में दिख रही है वह कल्पना से भी परे है।

शिक्षा की बदहाल व्यवस्था इसके संचालकों की नीयत पर सवाल खड़े करती है। वैश्विक मंदी के दौर में जब सभी क्षेत्र लुढ़क रहे थे, तो एजुकेशन सेक्टर में नई रोजगार संभावनाओं को लेकर उम्मीद दिख रही थी। लेकिन अब जबकि इन संस्थाओं की शिक्षा गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो छात्रों ने भी इनसे किनारा करना ही ठीक समझा और वे यहां प्रवेश लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में नए सत्र में बहुत से डीम्ड विश्वविद्यालयों

में सन्नाटा पसरा हुआ है, जाहिर है यहां शिक्षक और संस्थान का कारोबार देख रहे दूसरे तमाम लोगों की नौकरी और आजीविका पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यह अस्वाभाविक नहीं है। यह सब हुआ शिक्षा के बाजारीकरण और संचालकों को मनमानी छूट दिए जाने के कारण। इन संस्थानों से शिक्षा पाने वाले छात्रों को निजी कंपनियों के अलावा सरकारी नौकरियों तक में कम तरजीह दिए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे छात्रों में हताशा बढ़ना स्वाभाविक था, जो अब इन संस्थानों से दूरी के रूप में दिख भी रहा है।

दरअसल निजी संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्वीकृतियों के पीछे जो शंकाएं और आशंकाएं थीं, वह सच साबित हुई। आज शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता की बजाय इन्हें कारपोरेट कंपनियों का रूप देने की कोशिश ज्यादा दिखती है। शिक्षा के कारोबार को रोकने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। यदि शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने से पहले उनकी सुविधाओं और व्यवस्थाओं की ईमानदारी से जांच और निरीक्षण किया जाए तो कोई कारण नहीं कि इन्हें बेहतर नहीं बनाया जा सकता। इस काम में निजी संस्थानों को पूरी कर्मठता और ईमानदारी से आगे आना चाहिए, ताकि छात्रों का विश्वास फिर से बहाल किया जा सके। सरकार को इस दिशा में गंभीर चिंतन–मनन और सख्त कदम उठाने की अविलंब आवश्यकता है। ऐसा देखने में आता है कि सरकार की नीति फिलहाल उच्च शिक्षा की बजाय प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा है। सरकार को विचार करना चाहिए कि भारत अभी भी एक विकासशील देश है, इस कारण उच्च शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप और सहयोग जरूरी है। निजी क्षेत्रों को इसमें आमंत्रित किया जाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता की कीमत पर नहीं। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने के अलावा सही शिक्षा की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे देश में स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद लाखों बच्चों को उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की कमी है। देश में 1100 नए विश्वविद्यालय और 13000 नए कॉलेजों की आवश्यकता बताई जा रही है, लेकिन संख्या पर ध्यान देने की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है, लिहाजा हमें विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। यदि हम सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिला पाने में कामयाब होते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी के अलावा सरकार के राजकोष में काफी विदेशी मुद्रा भी ला सकते हैं।

सहारे की हकीकत – सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद ग्रामीण गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार पिछले कई वर्षों से लगातार मुनादी पीट रही है कि धनाभाव के कारण कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं होगा। उसे सरकारी मदद से बैंकों के जरिए कम ब्याज दर पर शैक्षणिक ऋण मुहैया कराया जाएगा, लेकिन सरकार की यह कोशिश रंग लाती नहीं दिख रही है और न ही शैक्षणिक ऋण की मदद से सुनहरे भविष्य का ताना–बाना बुनने वाले ग्रामीण छात्रों के सपनों को पंख ही लग पा रहे हैं। इसके लिए कहीं न कहीं सरकार की शैक्षणिक ऋण नीति में व्याप्त खामियां जिम्मेदार हैं।

बिचौलियों का खेल – वर्तमान समय में मात्र 0.9 प्रतिशत लोग ही उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक ऋण की मांग कर रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर में यह आंकड़ा बेहद ही कमजोर और शैक्षणिक विकास की रफ्तार को कम करने वाला है। यह आंकड़ा कम होने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि छात्र शैक्षणिक ऋण की मदद की गुहार नहीं लगा रहे हैं और न ही इसका मतलब यह हुआ कि छात्रों के पास इतना धन है कि सरकारी मदद के बिना ही उनका काम चल जाएगा। सच यह है कि बैंकों की शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही, भ्रष्टाचार और अधिकारियों व कर्मचारियों का निष्ठुर व्यवहार जरूरतमंद ग्रामीण छात्रों को बैंकों की चौखट तक फटकने नहीं देता। लोगों में यह आम अवधारणा बन चुकी है कि बैंकों से कोई भी ऋण आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए या तो बिचौलियों की मदद लेनी होगी या फिर बैंक अधिकारियों के समक्ष भीख मांगने तुल्य अनुनय–विनय करनी होगी। विडंबना यह है कि बिचौलिए या फिर बैंककर्मी कई बार अपना कमीशन भी मांगते हैं।

कठिन प्रक्रिया – दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों की जटिल ऋण प्रक्रिया और ढेरों कागजी कार्यवाही की पेचीदगियां भी ग्रामीण छात्रों में शैक्षणिक ऋण के प्रति निराशा पैदा करती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि शैक्षणिक ऋण की मदद की आस लगाने वाले छात्रों की संख्या तो कम होगी ही। तीसरी सबसे मुख्य वजह यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के पास ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में गारंटी धन रखने की क्षमता का न होना, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से ऋण नहीं मिल पाता। गांव और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के समक्ष तो बैंकों से ऋण प्राप्त करने की और भी दुश्वारियां हैं। उन्हें ऋण लेने के लिए शहरों की ओर दौड़भाग करनी पड़ती है। कारण इसका यह है कि आज भी देश के लाखों गांव बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं।

सरकार का रवैया – आज उच्च शिक्षा की नामांकन दर भारत में सिर्फ 12.4 फीसदी है, जबकि दुनिया के विकसित देशों में यह दर 40 फीसदी से कम नहीं है। आज दुनिया के विकसित

देशों में प्रति 10 लाख में 4500 छात्र शोध कार्य में संलग्न हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों में तो यह संख्या 6700 है, जबकि भारत में यह संख्या महज 156 है। यह उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत ही गंभीर प्रश्न है। सवाल यह उठता है कि जब उच्च शिक्षा में नामांकन ही नहीं होगा या कम होगा तो शोध कार्य किस बिनाह पर किए जाएंगे। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि गरीब घर के छात्रों को अब बैंकों से सालाना 4 फीसदी की निम्न ब्याज दर पर शैक्षणिक ऋण सुलभ कराया जाएगा। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। इसके लिए सरकार संस्थागत व्यवस्था करने की भी तैयारी में है। सरकार उन्हीं छात्रों को चार फीसदी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की बात कर रही है, जिनके माता–पिता की औसत आय 4.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है। बाकी छात्रों को सात फीसदी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी।

गौर करने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा शैक्षणिक मदद के नाम पर अभी तक छात्रों को बैंकों द्वारा महज 35,000 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए हैं, जो लक्ष्य से काफी कम है। इन आंकड़ों से सरकार की लचर शिक्षा ऋण नीति की खामियां ही उजागर होती हैं। सरकार अब इस कोशिश में जुटी है कि शिक्षा ऋण को 2017 तक बढ़ाकर 1,22,883 करोड़ रुपये और 2020 तक 1,66,541 करोड़ रुपये कर दिया जाए। लेकिन जब तक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती।

जरूरतमंद को कैसे मिले ऋण – सरकार द्वारा शैक्षणिक ऋण नीति में काफी बदलाव किए जाने की जरूरत है। सरकार और बैंकों को मिलकर शैक्षणिक ऋण के संदर्भ में शिक्षण संस्थाओं में जाकर जागरुकता कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। गरीब छात्रों के लिए ब्याज दर न्यूनतम रखी जाए। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बैंकों में जरूरी गारंटी धन रखने की बाध्यता को सिरे से खत्म किया जाए। कोशिश तो यह भी होनी चाहिए कि गांव स्तर पर भले ही न सही, लेकिन कम से कम तहसील स्तर पर ही सभी बैंकों द्वारा ऋण शिविर लगाकर जरूरतमंद छात्रों को ऋण प्रदान किया जाए। ऋण देते समय बैंक अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों एवं उनके अभिभावकों को विश्वास में जरूर लें और कम से कम कागजी कार्यवाही सुनिश्चित करें। छात्रों के भरोसे को जीते बिना लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। शिक्षा के उपरांत रोजगार प्राप्ति तक छात्रों को ऋण की देनदारी के लिए परेशान न किया जाए।

उच्च शिक्षा हेतु सहयोग की जरूरत – भारत की उच्च एवं प्रोफेशनल शिक्षा पद्धति में बदलाव और विश्वविद्यालयों में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत एक अर्से से महसूस की जा रही है। इस दिशा में प्रयास शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन इस क्षेत्र में गठजोड़ बनाने के लिए नए साझीदार तलाश करने की जरूरत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण के साथ ही भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास के मद्देनजर इस तरह का विविधिकरण और भी जरूरी हो जाता है।

उच्च शिक्षा एवं शोध संबंधी गतिविधियों में अमेरिका, कुछ चुनिंदा कॉमनवेल्थ व यूरोपीय देश भारत के परंपरागत साझीदार हैं। लेकिन अब जापान, दक्षिण कोरिया एवं ब्राजील जैसे अन्य देशों के साथ भी इस तरह की साझेदारी की जरूरत है।

उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण महिलाएं – भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गम्भीरतापूर्वक प्रयास किए हैं। भारत की साक्षरता दर (पांच वर्ष एवं उससे ऊपर) 1991 की 52.21 प्रतिशत एवं 1997 की 62 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 68 प्रतिशत हो गई है (वर्तमान समय की सही तस्वीर वर्ष 2011 की जनगणना से स्पष्ट होगी) किन्तु महिला साक्षरता दर 55 प्रतिशत और ग्रामीण महिला साक्षरता दर मात्र 44.5 प्रतिशत है। इस प्रकार, उच्च शिक्षा में प्रवेश की पात्र महिलाओं का प्रतिशत अत्यल्प रहता है क्योंकि पात्र महिलाओं में से अधिकतर लड़कियों की शादी मात्र 18–20 वर्ष के बीच ही कर दी जाती है। इन्दिरा नूई, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स को अपना आदर्श मानने वाली ग्रामीण युवतियों के सपने ग्रामीण परम्पराओं के नीचे दबकर सिसकी लेते हुए दम तोड़ देते हैं। केवल एक प्रतिशत ऐसी सौभाग्यशाली ग्रामीण महिलाएं होती हैं जो उच्च शिक्षा अर्जित कर पाती हैं।

ग्रामीण महिलाओं द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में अनेक सांस्कृतिक एवं परम्परावादी बाधाएं पैर पसार लेती हैं जो स्कूली शिक्षा के बाद सफलता के मार्ग में अवरोधक का काम करती हैं। ग्रामीण महिलाओं के मार्ग में जो सांस्कृतिक समस्याएं पैदा होती हैं, उनमें युवा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज की पुरातन सोच, उनके पति का असहयोगपूर्ण रवैया तथा घर एवं बच्चों की देखभाल करने को लेकर समाज में महिलाओं का स्थान आदि प्रमुख हैं जिनके निराकरण के लिए नारीवादी सुधारकों को आगे आना होगा। तथापि, सरकार ने शैक्षणिक समानता एवं अवसरों से संबंधित अनेक नीतियां घोषित की हैं और अत्यन्त सीमित संसाधनों के बावजूद उपलब्धियां हासिल की हैं।

सरकार ने देश के विकास और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षित महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कुल मिलाकर दिल्ली अभी दूर है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार एवं शोध छात्रा है)
ई–मेल : aditi.s.@yahoo.com

शिक्षा की मिसाल बनी बूढ़वाल ग्राम पंचायत

डॉ. ब्रह्मप्रकाश यादव

किसी जमाने में बूढ़वाल गांव की बालिकाओं और उनके माता-पिता का सपना हुआ करता था उन्हें पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा करना। आज यह सपना हकीकत में तब्दील हो गया है। आज इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति कहता है पहले बेटी को शिक्षादान करेंगे और बाद में कन्यादान करेंगे। बूढ़वाल में शिक्षा के क्षेत्र में हुई बेतहाशा प्रगति से न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है अपितु यहां के बेरोजगार युवकों को भी रोजगार मिला है।

राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ग्राम पंचायत बूढ़वाल शहर से 10 किमी. दूर है । "राठ क्षेत्र" के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में हरियाणा व राजस्थान की मिली-जुली संस्कृति है। ग्राम पंचायत बूढ़वाल से जुड़े गांव-भूपखेड़ा, डवानी, मिलकपुर में आज से 6-7 वर्ष पहले महिला शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न था। इन गांवों के आसपास उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं था। गांव में अधिकतर बालिकाओं को 10वीं या 12वीं तक पढ़ाकर शादी कर दी जाती थी। शहर आने-जाने के साधनों का अभाव था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर गांव की एक बेटी सुनिता यादव उच्च शिक्षा प्राप्त कर गांव की बालिकाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, जो अब ग्राम भूपखेड़ा से 02 किमी. दूर स्थित बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है।

राठ क्षेत्र बहरोड़ में बाबा खेतानाथ एक प्रबुद्ध संत हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बाबा खेतानाथजी ने ग्राम भीटेड़ा में महिला महाविद्यालय की नींव रखी। जो वर्तमान में न केवल ग्राम पंचायत बूढ़वाल अपितु सम्पूर्ण बहरोड़ तहसील की छात्राओं को कला, विज्ञान, वाणिज्य, कम्प्यूटर शिक्षा में स्नातकोत्तर तथा विधि, बी.एड. व एसटीसी की शिक्षा प्रदान कर रहा है। महाविद्यालय की बसों द्वारा ही गांवों से छात्राओं को लाया और ले जाया जाता है। इसके अलावा तीन अन्य गार्गी बी.एड. कॉलेज बूढ़वाल, वैदिक बी.एड. कॉलेज और शान्ति निकेतन कॉलेज मिलकपुर तथा

आसपास के गांवों में कुल मिलाकर लगभग 10 बी.एड. महाविद्यालय संचालित हैं जिससे इस क्षेत्र की बालिकाओं को बी.एड. शिक्षा भी यहीं से प्राप्त हो जाती है। किसी जमाने में इस ग्राम पंचायत की बालिकाओं एवं उनके माता–पिता का एक सपना हुआ करता था, वह आज हकीकत बन गया है। आज गांव का प्रत्येक व्यक्ति कहता है– "पहले बेटी को शिक्षादान करेंगे और बाद में कन्यादान।"

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि डालें तो तकनीकी के क्षेत्र में भी गांव पीछे नहीं है। राठ क्षेत्र में स्थित गांव में 5 किमी. दूर प्राचीन रियासत गांव नीमराना में पूर्व विधायक चांदनाथ के प्रयासों से राजकीय बाबा खेतानाथ पोलिटेक्नीक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त गांव नीमराना में ही इंजीनियरिंग महाविद्यालय और आई. आई. टी. संस्थान भी संचालित हैं जिनसे यहां के गांवों के छात्र–छात्राएं गांवों में रहकर ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में हुई बेतहाशा प्रगति से न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है अपितु यहां के बेरोजगार युवकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर प्रोफेसर पद तक रोजगार भी प्राप्त हुआ है। पूरे देश में चली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा क्षेत्र के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है जिससे परिवहन के साधनों का अभाव भी दूर हो गया है। सड़कें बनने से गांव के बच्चे शहर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल व अन्य अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गांव में रोजाना आठ स्कूल बसें बच्चों को लेने आती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सड़कें भी ग्रामीण विकास का अभिन्न अंग हैं।

ग्राम पंचायत बूढ़वाल के पास ही मात्र 30 घरों की राजपूतों की एक ढाणी है जिसका नाम है मगनीसिंह की ढाणी। यहां शिक्षा का स्तर निम्न था। ढाणी में केवल प्राथमिक विद्यालय ही हैं। शहर पढ़ने जाने के लिए साधनों का अभाव था, कच्चे रास्ते थे, जिससे बालिकाओं को तो पढ़ाना अत्यन्त मुश्किल था। परन्तु अब ढाणी को सीधा सड़क से जोड़ दिया गया तो टैम्पू व स्कूल बसें भी चलने लगी हैं। यहां के एक व्यक्ति रोशनलाल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी नीमराना इंजीनियरिंग कॉलेज से बी.टेक. कर रही है और अपनी स्कूटी से ही कॉलेज जाती है।

ग्राम पंचायत में 12वीं तक का सरकारी स्कूल तथा भूपखेड़ा, मिलकपुर, डवानी में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल है।

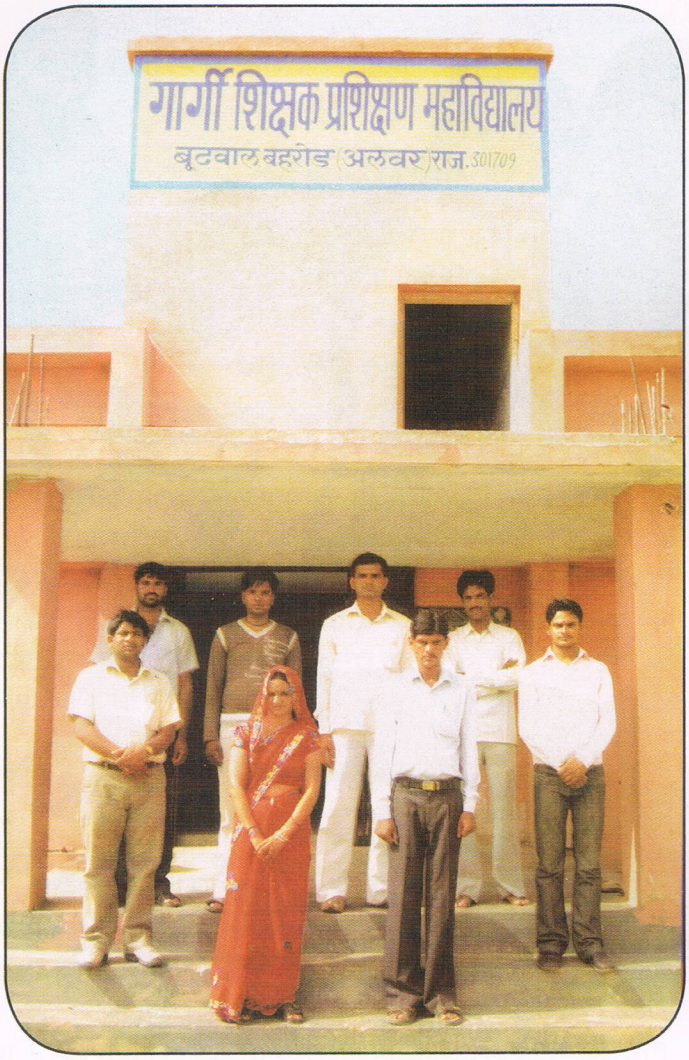

1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी 6–14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य 'शिक्षा का कानून' शिक्षा के लिए नया सवेरा लेकर आया है। यहां का गरीब बच्चा भी स्कूल जाने लगा है। कोई भी बालक शिक्षा से वंचित नहीं है। यहां एक एन.जी.ओ. ''ह्यूमन पिपल टू पिपल' भी कार्यरत है। इसमें कार्य कर रहे युवा ईंट–भट्टों व झुग्गी–झोपड़ियों में रह रहे बच्चों को वही जाकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

यहां के युवा शिक्षा प्राप्त कर सरहद पर जाकर देश सेवा को गर्व की बात मानते हैं। इस प्रकार यहां के युवक–युवतियों ने न केवल अपना और अपने गांव का विकास किया है अपितु देश के विकास में भी सहयोग दे रहे हैं।

(लेखक महाराजा महिला महाविद्यालय बहरोड़ में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता हैं।)
ई–मेल : yahoo.dvbp@gmail.com

शिक्षा मानव विकास का आधार स्तंभ

शिक्षा मानव के विकास का प्रमुख आधार स्तम्भ है जो उसे कुशल और प्रशिक्षित कर प्रगति के पथ पर ले जाती है। ऐसे में 'ग्रामीण विकास' में भी 'शिक्षा' के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसी के मद्देनजर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गरीब और असहाय छात्रों के लिए ऋण, अनुदान एवं छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी पारित हो चुका है।

डॉ. नीरज कुमार गौतम

आज जब सुनियोजित आर्थिक विकास में समस्त सामाजिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है, तब शिक्षा को आर्थिक विकास की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालना समय की मांग है। एक प्रकार से शिक्षा प्रणाली न केवल अर्थव्यवस्था तथा समाज द्वारा अभीष्ट कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करती है बल्कि आधुनिक दृष्टिकोण और बेहतर तकनीक द्वारा लोगों की ग्रहणशीलता बढ़ाती है, उनके मानसिक स्तर का विस्तार कर स्वस्थ मूल्यवान विकास हेतु चेतना उत्पन्न करती है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर हुए व्यय के परिणामस्वरूप देश के सभी क्षेत्रों में साक्षरता में तेजी से विस्तार हुआ। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार देश में केवल 18.33 प्रतिशत लोग ही साक्षर थे जो शिक्षा सुविधाओं में विस्तार के फलस्वरूप बढ़कर 1971 में 34.45 प्रतिशत, 1991 में 52.21 प्रतिशत और 2001 में बढ़कर 64.84 प्रतिशत हो गए। किन्तु साक्षरता में हुई यह वृद्धि देश के विभिन्न

क्षेत्रों/राज्यों में समान नहीं है। अर्थात् कुछ राज्यों में साक्षर व्यक्ति अधिक हैं तो कुछ राज्यों में कम है। जिसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि सभी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार हो सके, सभी व्यक्ति शिक्षित हो सके। स्वतंत्रता के बाद देश में सभी स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। वर्तमान में देश में 7,67,520 प्राथमिक एवं कनिष्ठ बुनियादी विद्यालय, 2,74,731 माध्यमिक एवं वरिष्ठ बुनियादी विद्यालय, 1,52,049 इन्टरमीडियट एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 12,751 सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय, 5179 व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और 350 विश्वविद्यालय हैं।

भारतीय शिक्षा नीति में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है और "सभी के लिए शिक्षा" को केन्द्र में रखकर शिक्षा के विस्तार के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है। शिक्षा की प्रमुख भूमि जनशक्ति को कुशल, क्रियाशील एवं दक्ष बनाना है जो अपने दायित्वों को समझने के साथ–साथ विश्व के प्रतियोगी बाजार में आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो सके। देश में प्रारम्भ से ही यह प्रयास किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। प्रायः बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश तो दिया जाता है, किन्तु वे इसे जारी नहीं रख पातीं। प्रायः यह देखा जाता है कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अनेक छात्र प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुंचने में इनकी संख्या तेजी से कम हो जाती है।

बालक–बालिकाओं का सफल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर (कक्षा–1 से 5वीं तक) पर सन् 1950–51 में केवल 42.6 था, जो बढ़कर सन् 1980–81 में 80.5 प्रतिशत एवं 2004–05 में 107.8 प्रतिशत हो गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जहां बालकों का नामांकन अनुपात 110.7 है, वहीं बालिकाओं का 104.7 है। बालक–बालिकाओं के नामांकन में हुई यह वृद्धि पिछले दशकों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का परिणाम है।

भारत में शैक्षिणिक सुविधाएं

शिक्षा के विकास और निरक्षरता के उन्मूलन हेतु व्यापक नीतिगत संरचना का "शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1986" में उल्लेख किया गया है। इसमें शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के स्तर पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु वास्तविकता यह है कि उक्त लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2007–08 में केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों द्वारा शिक्षा पर किया गया कुल संयुक्त व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.84 प्रतिशत ही है। शिक्षा के विस्तार के लिए सन् 2004 से वित्तीय स्रोतों को जुटाने के लिए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत का शिक्षा उपकर लगाया गया है। इस राशि से बुनियादी शिक्षा के विस्तार, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान – देश में सर्व शिक्षा अभियान को वर्ष 2001–02 से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य देश के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक आठवीं कक्षा तक की सन्तोषजनक निःशुल्क और गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम – स्कूली बच्चों के लिए दोपहर भोजन की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 अगस्त, 1995 से की थी। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम का विस्तार अक्टूबर 2007 से कक्षा 6 से आठ तक के लिए 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में किया गया था। कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्राथमिक स्तर से ऊपर के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का पोषाहार निश्चित किया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा

प्राइमरी या प्राथमिक और मिडिल या अपर प्राइमरी स्कूल शिक्षा को मिलाकर प्रारम्भिक शिक्षा कहते हैं। देश में प्राथमिक शिक्षा को दो भागो में विभाजित किया गया है – कक्षा 1 से कक्षा 5 तक (प्राथमिक स्कूल) तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक (मिडिल या उच्च प्राथमिक स्कूल) प्राथमिक पाठशाला में छात्रों की आयु 6 से 11 वर्ष तक और उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ने की आयु 11 से 14 वर्ष रखी गयी है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1950–51 में इनकी संख्या 2.23 लाख थी। 2005–06 में यह बढ़कर 12.83 लाख हो गई। छः से चौदह वर्ष के आयु समूह में 89 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से 1992 में संशोधन करके प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में मुख्य बातों में बल दिया गया है:

- सार्वभौमिक पहुंच एवं नामांकन।
- 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को स्कूली पढ़ाई न छोड़ने देना और
- सभी बच्चे शिक्षा के आवश्यक स्तरों को प्राप्त कर सके, इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड – सरकार ने देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों में सुधार लाने हेतु ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1987–88 में प्रारम्भ की थी।

माध्यमिक शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष आयु समूह के छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार करने के साथ–साथ विश्व के कार्यक्षेत्र के लिए भी तैयार किया जाता है। 1950–51 में देश में माध्यमिक स्कूलों की संख्या 7,416 थी जो की 2005–06 में बढ़कर 1.52 लाख हो गई। इस अवधि में छात्रों नामांकन संख्या 15 लाख से बढ़कर 370 लाख हो गई। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार के लिए निम्नलिखित संस्थाएं भी कार्यरत हैं –

- **नवोदय विद्यालय** – भारत सरकार ने 1985–86 में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। इस समय देश में 453 स्कूल चल रहे हैं।
- **केन्द्रीय विद्यालय** – भारत सरकार ने 1962 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की योजना मंजूर की थी। इस समय देश में 874 केन्द्रीय विद्यालय है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू है।
- **राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्** – इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यह 12वीं कक्षा तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य–पुस्तकें तैयार करती है व अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देती है।
- **माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण** – फरवरी 1988 में केन्द्रीय सरकार ने उच्च शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की एक योजना बनाई। इस योजना के अन्तर्गत उन स्कूलों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो उच्च शिक्षा (10+2) स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना शुरू करेंगे। जो बच्चे सफलतापूर्वक पूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर लेते है, उनको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने तथा स्वरोजगार की योजना बनाने के प्रयोग किये जा रहे हैं।
- **तकनीकी मेडिकल तथा कृषि शिक्षा** – 1951 के बाद व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके अन्तर्गत कृषि, कला, भवन–निर्माण, व्यापार, इंजीनियरिंग, शारीरिक शिक्षा, पशु–चिकित्सा, शल्य चिकित्सा आदि विषयों पर प्रशिक्षण शामिल है।
- **ग्रामीण शिक्षा** – ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् की देश में स्थापना की गई थी। इस परिषद् के अन्तर्गत 14 ग्रामीण शिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही हैं। देश में प्रौढ़ शिक्षा का भी काफी विकास किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा सभी राज्यों में निःशुल्क है।
- **प्रौढ़ तथा स्त्रियों की शिक्षा** – प्रौढ़ जनसंख्या में निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध किया गया है। इस प्रबन्ध में 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। देश में 15–35 वर्ष की आयु के 11 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। 1976 से औपचारिक शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। इसका उद्देश्य 15–25 वर्ष के युवकों को सार्थक शिक्षा प्रदान करना है।
- **विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा** – विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। सभी विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों का मान्यता प्राप्त होना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनायें भी शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं जो निम्नलिखित हैं –

- **गांव की बेटी योजना** – मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये गांव की बेटी योजना के संबंध में एतद् द्वारा गांव की बेटी योजना नियम 2005 बनाए गए हैं।
- **प्रतिभा किरण योजना** – मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली शहर की मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए "प्रतिभा किरण" योजना के संबंध में एतद् द्वारा प्रतिभा किरण योजना के नियम, 2007 बनाए गए हैं।
- **विक्रमादित्य योजना** – शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में नियमित अध्ययन करने पर पात्रता अनुसार 3000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग विद्यार्थी के लिये 7500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (42000 रुपये वार्षिक से कम आय वाले) परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में शुल्क से छूट देने का प्रावधान रखा गया है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय – इसकी स्थापना 1985 में की गई जिसका उद्देश्य उन लोगों (जिनमें स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले विद्यार्थी, गृहिणियां, बेकार और कामकाजी व्यक्ति सम्मिलित हैं) को पुनः शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है जिनकी पढ़ाई–लिखाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त देश में 9 और इस प्रकार के मुक्त विश्वविद्यालय हैं।

बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

योजना का कार्यक्षेत्र – इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश/जिले के ऐसे विकासखण्डों का चयन किया गया है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.7 प्रतिशत से कम तथा महिला व

पुरुष साक्षरता दर का अंतर राष्ट्रीय औसत 21.7 प्रतिशत से अधिक है अथवा जहां अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है।

कार्यक्रम के उद्देश्य – सभी बालिकाएं शाला में दर्ज हो, दर्ज बालिकाएं प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी होने से पहले शाला को बीच में न छोड़े, ऐसी बालिकाएं जो किन्ही कारणों से शाला में दर्ज नहीं हैं, उनके लिए पढ़ाई की विशेष व्यवस्था करना, सशक्तिकरण हेतु बालिकाओं की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना, शिक्षा में बालिकाओं एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, अर्थात् 5 से 14 वर्ष आयु समूह की सभी बालिकाएं अपनी प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करें।

कार्यक्रम का लक्ष्य – शाला में 1 से 8 तक दर्ज सभी बालिकाएं, अनामांकित, शालात्यागी और कामकाजी बालिकाएं।

कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियां – सभी बालिकाओं को शाला में दर्ज करने व उनकी नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए की जाने वाली गतिविधियां –

- **मोबिलाइजेशन** – प्रारंभिक बालिका शिक्षा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गतिविधियां आयोजित करना।
- **प्रोत्साहन** – कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म देना, सभी बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकें पूर्व से ही निःशुल्क वितरित की जा रही हैं।
- **शिशु शिक्षा एवं देखभाल केन्द्र खोलना** – जहां आंगनबाड़ी केन्द्र न हो वहां बालिकाओं के साथ आने वाले उनके छोटे भाई–बहनों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था देने के लिए शिशु शिक्षा एवं देखभाल केन्द्रों को खोलना, 3–5 आयु वर्ग के कम से कम 15 शिशुओं के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, इन केन्द्रों हेतु दीदी (शिक्षिका) का चयन, दीदी को 400 रु. प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था।

शालाओं को पुरस्कार – ऐसी शालाएं जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगी, उन्हे प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिया जाएगा।

मॉडल क्लस्टरशाला बनाना – प्रत्येक विकासखण्ड के 10 जनशिक्षा केन्द्रों मे प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र में किसी एक माध्यमिक शाला (प्राथमिक सेक्शन सहित) जिसमें बालिकाओं की दर्ज संख्या अधिक हो, तथा अनुसूचित जाति व जनजाति की बालिकाओं की संख्या अधिक हो, को मॉडल शाला बनाना, इस शाला में बालिकाओं के लिए उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण, ''स्वरक्षा'' संबंधी, कम्प्यूटर इत्यादि के प्रशिक्षण की व्यवस्था, सभी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था, ओपन स्कूल के लिए कान्टेक्ट प्रोग्राम के लिए केन्द्र होंगे।

जेंडर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण – प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र में कक्षा 8 तक के सभी शिक्षकों को जेंडर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण देना।

गैर–आवासी ब्रिज कोर्स – बच्चों को अपनी उम्र के मुताबिक औपचारिक स्कूल में उचित कक्षा में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना, ऐसी बसाहटों में जहां कम से कम 20 बच्चे शाला से बाहर (अप्रवेशी/शाला त्यागी) हैं। विशेष दूरस्थ व आदिवासी क्षेत्र में कम बच्चों पर भी यह केन्द्र खोला जा सकता है, ये 3 से 9 माह की अवधि के लिए संचालित किये जा सकते हैं। अवधि बच्चों की उम्र व उनके स्तर पर निर्भर करेगी, बिज्र कोर्स के बच्चे शाला का ही हिस्सा होंगे, प्राथमिकता के आधार पर शाला में व यदि शाला में स्थान की कमी हो तो समुदाय द्वारा प्रदान किए गए स्थान पर चलाया जाएगा, बिज्र कोर्स के लिए स्थानीय स्तर पर एक स्वयंसेवक समुदाय द्वारा रखा जाएगा जिसे 1000रु. प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। प्रतिमाह बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर मानदेय देय होगा, स्वयंसेवक की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होगी। जहां 12वीं पास व्यक्ति उपलब्ध न हो वहां 10वीं पास को भी रखा जा सकेगा।

आवासीय बिज्र कोर्स – प्रत्येक जिले में एक आवासीय ब्रिज कोर्स लड़कियों के लिये संचालित किया जाएगा, आवासीय कैम्प में 100 बालिकाओं के लिए व्यवस्था होगी, जब भी बच्चे निर्धारित कक्षा के योग्य हो जाएंगे तो किसी भी समय उन्हें उस कक्षा में दर्ज किया जाएगा।

ओपन स्कूल से समन्वय – बड़ी उम्र के ऐसे बच्चे जो पुनः शाला में दर्ज होने के इच्छुक नहीं होंगे, उनके लिए ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी।

विशेष फोकस – 5 से 7 साल उम्र तक की सभी बालिकाओं को शाला में दर्ज करवाना, बड़ी उम्र की अनामांकित व शालात्यागी बालिकाओं को बिज्र कोर्स के माध्यम से पढ़ाई पूरी करने हेतु प्रोत्साहित करना, कक्षा 5 वीं पास करने वाली सभी बालिकाओं को कक्षा 6वीं में दर्ज करवाना, ऐसी बालिकाएं जो 5वीं पास करने के बाद 6वीं में दर्ज न हो पाएं उन्हें ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा पूर्ण करवाना।

कार्यक्रम का दायित्व – योजना के क्रियान्यवन के लिए राज्य, जिला, विकासखण्ड, जनशिक्षा केन्द्र व ग्राम स्तर पर कोर टीमों की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक स्तर पर कोर समूहों का गठन किया जाएगा।

समीक्षा एवं मॉनिटरिंग – इन समूहों द्वारा कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाएगी। समूह के सदस्य देखेंगे कि सभी बालिकाएं शाला में दर्ज हो, दर्ज बालिकाएं नियमित रूप से शाला में उपस्थित हो। गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करें, अपनी प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने तक निरंतर अध्ययनरत रहें, उन्हे समय पर पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म (ड्रेस) इत्यादि प्राप्त हो। जो बालिकाएं शाला से बाहर हैं, उनके लिए पठन–पाठन की व्यवस्था हो और पुनः शाला में

दर्ज हों, मॉडल कलस्टरशाला में बालिकाओं के लिये आवश्यक सुविधाएं हो उन्हें उनकी रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त हो, 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए संचालित केन्द्र समुचित रूप से संचालित हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के 01 अप्रैल, 2010 से लागू होने की अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी, 2010 को प्रकाशित की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, शत–प्रतिशत उपस्थिति तथा शत–प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नवत हैं :–

- 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना।
- अनामांकित एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध ।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूर्णतः प्रतिबंधित।
- समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस में शिक्षा की सुविधा 3 वर्ष में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की बाध्यता।
- नियत मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक शाला में अधोसंरचना की व्यवस्था 3 वर्ष में, शिक्षक छात्र अनुपात अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था 6 माह में सुनिश्चित करना।
- अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्य में लगाना प्रतिबंधित। (दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर)
- शाला विकास योजना निर्माण, प्रबंधन, मॉनिटरिंग का कार्य स्थानीय निकाय के सहयोग से शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना।
- निजी स्कूल में भी केपिटेशन फीस एवं प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित रहेगी।
- गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पड़ोस के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। राज्य द्वारा किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अथवा गैर–अनुदान प्राप्त शाला की वास्तविक फीस जो भी कम हो, के आधार पर राज्य द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
- प्रत्येक शाला हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निर्धारित रहेंगे।

6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हो चुका है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मॉडल नियम मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों को भेजे जा चुके हैं। इन नियमों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार के लिए नियम तैयार किये जा रहे हैं। राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम को व्यवस्थित रूप से लागू करने के प्रति पूर्ण सजग है। शिक्षा का अधिकार संबंधी कानून की व्यापकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इनके प्रावधानों की जानकारी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, संबंधित विभागों को देने के लिए वृहद् स्तर पर तैयारियां की गई हैं।

86वें संविधान संशोधन 2002 में जीवन के अधिकार के तहत मूलभूत अधिकार में 21क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है जिसमें राज्य छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी नीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें, उपबंध करेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है जिसमें निःशुल्क से तात्पर्य किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस/शुल्क/ व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो। अनिवार्य से तात्पर्य प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, शत–प्रतिशत उपस्थिति तथा शत–प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है। पालकों के लिए मूलभूत दायित्व में इसे शामिल किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ड्राप आउट एवं अनामांकित बच्चों का उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्हें अन्य बच्चों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रवेशित बच्चों के 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार मिलेगा। प्रवेश के लिये जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं होगी। किसी भी बच्चे को कक्षा आठवीं तक फेल करने पर प्रतिबंध रहेगा। बच्चों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी प्रतिबंधित रहेगा। समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस में शिक्षा की सुविधा 3 वर्ष में उपलब्ध कराना राज्य सरकार की बाध्यता रहेगी।

(लेखक शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.) में अर्थशास्त्र विभाग में अतिथि विद्वान हैं।)
ई–मेल : neeraj_gautam76@yahoo.co.in

बालिका शिक्षा से ही होगा देश का विकास

कुसुमलता सिंह

आज से 20 वर्ष पहले के समय और आज के समय में काफी परिवर्तन आ गया है। बचपन में आपको भी पढ़ाई को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा?

इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद परिवार के लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमने जिद की और आगे की पढ़ाई जारी रखी। अब तो स्थिति यह है कि सभी पढ़ाई को मूलमंत्र मानने लगे हैं। शादी होने के बाद पति ने भी शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना और उनके सहयोग से आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकी। आज जो कुछ भी हूं वह शिक्षित होने की वजह से ही हूं।

डा. सरिता किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाती लेकिन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत इरादे ने सैंकड़ों लड़कियों को साक्षर ही नहीं बनाया बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा की प्रेरणा देकर स्वावलंबी भी बनाया। उन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं के बीच बैठकर उन्हें शिक्षित न होने की दशा में आ रही मुश्किलों से अवगत कराया और उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर कर दिया।

अभी भी शादी के बाद तमाम लड़कियां पढ़ाई बंद कर देती हैं। उनकी दलील होती है कि परिवार और बच्चों को संभालना सबकुछ एक साथ नहीं हो सकता।

नहीं ऐसा नहीं है। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। हर कोई आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। माना कि शादी के बाद व्यस्तताएं बढ़ जाती है, लेकिन पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। गांव ही नहीं, शहरी इलाके में भी तमाम लड़कियां शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन परिवार से उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता। परिवार के कुछ सदस्य बार-बार पढ़ाई छोड़ने

के लिए दबाव भी डालते हैं जिसकी वजह से चाहकर भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं। लेकिन जिन लोगों में सीखने और कुछ करने की ललक होती हैं वे पीछे नहीं हटते हैं। जब भी मौका मिलता है पढ़ने की कोशिश करती है। अगर परिवार का थोड़ा–सा भी सहयोग मिले तो घर–परिवार और बच्चों को संभालने के साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी जा सकती है।

डॉ. सरिता

कुछ महिलाओं के मन में यह बात आ जाती है कि अब तो शादी हो चुकी है, आगे पढ़कर क्या करेंगी। पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं? ऐसी महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी।

सबसे पहले तो मैं यह कहूंगी कि पढ़ाई को नौकरी से कतई न जोड़ा जाए। पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में ही जाएं। शिक्षा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। घर–परिवार को संभालने से लेकर आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह संवार सकते हैं। खुद के साथ ही परिवार, समाज और देश के विकास में किस तरह सहयोग दे सकते हैं यह सीखने का मौका मिलता है। हम जो कुछ भी लिखते–पढ़ते हैं, उसका पहला फायदा खुद को मिलता है। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी लिख–पढ़ रहे हैं अथवा कोई कोर्स कर रहे हैं, उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। कई बार हमारी शिक्षा का हमें अप्रत्यक्ष फायदा मिलता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

आपके मन में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कहां से आई। आप महिलाओं के नजदीक कैसे पहुंची। आखिर आपमें ऐसी कौन–सी खूबी थी, जिसकी वजह से गांव की महिलाओं ने आपकी बात सुनी?

बचपन से ही मैं देखती आ रही थी कि तमाम परिवारों में लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, लेकिन लड़कियों की उपेक्षा की जाती। मेरे साथ की तमाम लड़कियां हाईस्कूल तक ही पहुंच पाई तो कुछ ने इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैं बार–बार सोचती कि आखिर लड़कियों को लोग पढ़ाना क्यों नहीं चाहते। इसकी शुरुआत हमने अपने परिवार और रिश्तेदारों से की। मैं जयपुर में अपने ससुराल और पीहर के साथ ही जिस भी रिश्तेदारों के यहां जाती, बातचीत का केन्द्र लड़कियों की पढ़ाई ही रखती। यह काम आज भी मैं कर रही हूं। पीहर एवं ससुराल दोनों स्थानों पर हमने घर–घर जाकर लोगों को बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जागरूक किया। लोगों को समझाया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। गांव की अशिक्षित महिलाओं ने हमारी बात सुनी। लड़कियों ने भी यह माना कि पढ़ना–लिखना जरूरी है। कई दौर की कोशिश करती हूं। फिर धीरे–धीरे आसपास की बस्तियों को अपना लक्ष्य बनाती हूं।

जब आप लोगों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने निकली तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा?

मैं लोगों को बताती कि पढ़ी–लिखी न होने के कारण ये लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी। फिर ये दूसरे पर आश्रित रहेंगी। एक–एक पैसे के लिए मोहताज रहेंगी। अगर पढ़ी–लिखी रहेंगी तो नौकरी न मिली न सही, पर अपना कोई काम–धंधा कर सकती हैं। अपने जीवन के बारे में सोच सकती हैं। अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है अथवा कोई दूसरी घटना होती है तो भी वे उसका सामना कर सकेंगी। इस दौरान कुछ पुरुषों को भी हमारी बात खराब लगी, लेकिन बाद में सभी ने माना कि मैं जो बातें कह रही हूं वह सही हैं। इसके अलावा मुझे नेचुरोपैथी और सुजोक थैरेपी की भी जानकारी है। कई बार लोगों का इलाज करते वक्त भी उनसे बालिकाओं को स्कूल भेजने की बात कही तो वे मान गए। उन्हें लगा कि जो निशुल्क विभिन्न व्याधियों का इलाज कर सकती है वह अगर पढ़ाई की बात कर रही है तो निश्चित रूप से उनके फायदे के लिए ही। इस तरह इस अभियान में डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स भी मेरा सहयोग कर रहे हैं।

इस दौरान लोगों ने बालिकाओं को स्कूल भेजने को लेकर क्या सवाल खड़े किए?

सवाल तो ढेर सारे खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा को लेकर था। लोगों का कहना था कि यदि बालिकाएं पढ़ने के लिए दूर के स्कूल में जाएंगी तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। जैसे इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए ग्रामीण इलाके में स्कूल का होना भी एक बड़ी समस्या थी। लड़के तो शहर तक आ जाते, लेकिन लड़कियों को यहां तक पहुंचाना काफी मुश्किल होता है।

फिर इस समस्या का रास्ता क्या बताया?

इस समस्या के समाधान के रूप में बताया गया कि बालिकाओं की शहर में रहने की व्यवस्था की जाए और अपने मन में यह भय निकाल दिया जाए कि वे अकेले कैसे रहेंगी क्योंकि सरकारी

हॉस्टल अथवा प्राइवेट हॉस्टल में तमाम बालिकाएं रहती है और वे ही कुछ न कुछ बनकर दिखाती हैं। दूसरा रास्ता यह अपनाया जा सकता है कि ढाणी की बालिकाएं समूह में निकले और समूह में ही वापस आ जाएं। गांव से चलने वाले वाहनों से बातचीत कर ली जाए कि वे सुबह ढाणी की बालिकाओं को स्कूल तक छोड़ देंगे और शाम को ले जाएंगे।

गांव की अन्य महिलाओं ने किस तरह से आपकी बात को समझा और सुना।

हमने सारे फंडे उनके ऊपर अपनाए। उन्हें बताया कि पढ़ी–लिखी न होने के कारण उनका अंगूठा तो लगवा लिया जाता है, लेकिन उस पर क्या लिखा होता है वह यह नहीं जानती हैं। इसी तरह वे अपनी समस्याओं को ठीक से अफसरों के सामने रख नहीं पाती हैं। अपनी पीड़ा मन में दबाए रखती हैं। यदि उनके परिवार की लड़कियां पढ़ी–लिखी होंगी तो उनके जैसा जीवन नहीं जीना पड़ेगा।

आपकी निगाह में महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब है?

महिला सशक्तिकरण का सीधा मतलब है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। महिलाओं के हाथ में अधिकार देना और उन्हें स्वावलंबी बनाना। जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक देश व समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहला काम उन्हें शिक्षित बनाना होगा। शिक्षा के बिना कोई भी अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है।

आपकी निगाह में देश के अंदर विकास की क्या स्थिति है?

विकास तेजी से हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पहले जहां सड़कें नहीं थीं, वहां सड़कें बन गई हैं। सड़क बनने से रोजगार के नए साधन बढ़े हैं। लोगों में आत्मनिर्भरता आई है। शिक्षा का भी विकास हो रहा है। बचपन में जहां हम चंद लोग ही स्कूल जाते थे वहीं अब हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल जाएं। हां, उच्च शिक्षा का अभी भी

ग्रामीण इलाके में अभाव बना हुआ है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि गांव बदल रहा है। भारत के गांवों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। जिन स्थानों पर पीने का पानी नहीं था, वहां खेती करने के लिए पानी का इंतजाम हो गया है। यही हाल दूसरे क्षेत्रों का भी है। संचार सुविधाओं ने हर मुश्किल को आसान कर दिया है। अब हर गांव ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य के पास मोबाइल हो गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा यह है कि लोग 24 घंटे एक–दूसरे के टच में रहते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होने पर तुरन्त बात करके उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। कस्बे शहर बन रहे हैं और गांव कस्बे में तब्दील हो रहा है। पहले जो सुविधाएं सिर्फ शहर में मिलती थी वह अब गांव में मिलने लगी हैं।

पंचायत में महिलाओं की क्या स्थिति है?

पंचायत में महिलाओं की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। संविधान के 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे न सिर्फ महिलाओं के हाथ में सत्ता आई है बल्कि आदिवासी, गरीब महिलाएं भी जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा रही हैं। यह एक बड़ा बदलाव हुआ है। संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया गया।

कहा जाता है कि पंचायत में महिला जनप्रतिनिधि चुनी तो जाती है, लेकिन वे स्टांप पैड तक ही सीमित हैं। वे जिस उम्मीद से चुनी जाती है उसे पूरा नहीं कर पाती है। उनके सारे अधिकारों का प्रयोग उनके परिवार का पुरुष सदस्य करता है। चाहे वह पति हो या बेटा अथवा कोई अन्य?

ऐसा नहीं है, पंचायत में भागीदारी मिलने के बाद महिलाओं मे जागरुकता आई है। कुछ स्थानों पर स्टांप पैड की बात सही हो सकती है, लेकिन इसे शत–प्रतिशत नहीं माना जा सकता। अब जो भी जनप्रतिनिधि चुनी जा रही हैं वह पढ़–लिखी हैं। उनके अधिकार क्या हैं, इसे वे समझती हैं। वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होने दे रही हैं। धीरे–धीरे नई पीढ़ी आ रही है। नई पीढ़ी शिक्षित होगी तो यह समस्या भी कम हो जाएगी। अब वह दिन दूर नहीं जब पंच अथवा सरपंच होगा कोई और फैसले करेगा कोई, यह बात बीते जमाने की हो जाएगी। इस मुद्दे पर सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है।

आगे आपका सपना क्या है? क्या आप आगे किसी एनजीओ से जुड़ेंगी अथवा राजनीति में आएंगी?

बस, मेरे देश की सभी बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगे। उनकी पढ़ाई में कोई भी बाधा न आए। अभिभावक उन्हें किसी तरह का बोझ समझने के बजाय यह मानने लगे कि लड़के की तरह लड़की को भी पढ़ाया जाना जरूरी है। न ही मैं किसी एनजीओ से जुड़ना चाहती हूं और न ही राजनीति में आने का इरादा है। जो कुछ भी कर रही हूं पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से।

समाज में बालक एवं बालिकाओं में विभेद होता है। बालिका से जन्म से ही लोग घबराते हैं। कन्याभ्रूण हत्या इसकी गवाह है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में यह स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर है। इस संबध में आप क्या सोचती हैं?

इसके लिए कोई एक नहीं पूरा समाज जिम्मेदार है। जो भी कुरीतियां है, उसे दूर करने की जरूरत है। फिर भी अब स्थितियां बदल गई हैं। लोग जागरूक हुए हैं। विभेद खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी इस तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में होने वाली बैठकों में इस संबंध में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा, लखनऊ सहित कई शहरों में रही। इस दौरान देखा कि जिन परिवारों में शिक्षा का विकास हो रहा है वहां यह समस्या खत्म हो रही है। लोगों की सोच बदल रही है। आप राजस्थान को देखे तो यहां भी बदलाव आया है। तीन साल पहले की अपेक्षा अब राजस्थान काफी बदल गया है। पंजाब और हरियाणा में भी बदलाव दिख रहा है। बस लोगों को इरादे मजबूत रखने की जरूरत है। आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेगी।

आपकी निगाह में भारत कैसा होना चाहिए।

भारत गांवों का देश है। इस देश की ज्यादातर जनसंख्या गांवो में रहती है। इसलिए भारत के गांवों में भी वह सुविधा होनी चाहिए, जो शहरी इलाके में है। गांव के लोगों को जल्द से जल्द आधारभूत सुविधाएं मिले।

केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर दिया है। बालिकाओं को इसका कितना फायदा मिलेगा?

सरकार की हर योजना अच्छी होती है बशर्ते उसका पालन सही तरीके से किया जाए। केंद सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू करके बहुत बड़ा काम किया है। निश्चित रूप से बालिकाओं को इसका फायदा मिलेगा।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

यूं बदला उत्तर प्रदेश के एक गांव का शैक्षिक वातावरण

जौहर अली

चन्दौली जिले के एक गांव का नाम है 'कमालपुर'। कहा जाता है कि जब भारत में जमींदारी प्रथा थी तब यहां का शासक कमाल खान था जिसके नाम पर इस गांव का नाम कमालपुर पड़ा। कमालपुर में हिन्दू और मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं और आपस में भाईचारा है। सन् 1952 में जनपद का प्रथम प्राथमिक विद्यालय इसी गांव में खोला गया था। इस प्राथमिक विद्यालय से पहले गांव में शिक्षा की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी। अब गांव में बेसिक प्राइमरी मकतब स्कूल, प्राथमिक विद्यालय कमालपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कन्या जूनियर हाईस्कूल, राष्ट्रीय इंटर कालेज, कमालपुर, हरिद्वार राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाम से मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। इसके अलावा कुछ निजी संस्थान भी खुल गए हैं।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अलग विशिष्टता रखती हैं। इस राज्य की मुख्य भाषा हिन्दी है तथा उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह बीमारु राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) में से एक है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 79.2 है। यहां की कुल साक्षरता 56.3 है जिसमें पुरुष साक्षरता 68.8 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 42.2 प्रतिशत है। इस राज्य में कुल जिलों की संख्या 70 है। घाटों की नगरी वाराणसी मण्डल में कुल चार जिले वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर एवं चन्दौली हैं। इन चारों जिलों में चन्दौली सबसे पिछड़ा माना जाता है। चन्दौली को नक्सल–प्रभावित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री का जन्म इसी जिले के मुगलसराय में हुआ था जिनके नाम पर लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज मुगलसराय बना जो बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध है।

कमालपुर में हिन्दू और मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं और आपस में भाईचारा है। हिन्दुओं में अहीर, रस्तोगी, अग्रहरी, तेली, ब्राह्मण, गोंड, हरिजन जातियों की बहुलता है। मुस्लिमों में खान, अन्सारी, नाई, दर्जी तथा मोची जातियां हैं। इस गांव में आज भी सुशिक्षित लोगों की कमी है। सन् 1952 में जनपद का प्रथम प्राथमिक विद्यालय इसी गांव में खोला गया था। इस प्राथमिक विद्यालय से पहले गांव में शिक्षा की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी।

एक ग्रामीण पुरुष जिसने तकदीर बदल दी

हाफिज नेसार नाम के एक व्यक्ति का इस गांव में आगमन उस समय हुआ था जब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था तथा स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील था। गांव में बुजुर्गों के अनुसार हाफिज नेसार को गांव में मुस्लिम बच्चों को अरबी पढ़ाने और कुरान की शिक्षा देने के लिए बुलाया गया था। हाफिज नेसार गांव में एक कुएं के चबूतरे पर बच्चों को कुरान शरीफ (मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ) पढ़ाया करते थे। गांव में सिंचाई के लिए एक नहर थी जिसके किनारे गांव का कूड़ा–करकट फेंका जाता था। हाफिज नेसार ने उस नहर के किनारे की जगह को बच्चों की मदद से साफ किया और वहीं पर शिक्षा देना शुरू किया। धीरे–धीरे वहां पुआल की मड़ई बनाई गयी और शिक्षा–दीक्षा का काम चलता रहा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी की दीवाल बनायी गई और धीरे–धीरे यह स्कूल का रूप लेने लगा। आसपास के गांवों के बच्चे भी यहां अरबी और बाद में उर्दू पढ़ने आने लगे और इस भवन को मकतब स्कूल कहा जाने लगा। आजादी के बाद जब जनपद का प्रथम प्राथमिक विद्यालय खुला सम्भवतः तभी इस स्कूल को भी 'बेसिक प्राइमरी मकतब स्कूल कमालपुर' नाम से बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता मिल गई। शुरू–शुरू में इसमें अरबी तथा उर्दू, फिर शनैःशनैः हिन्दी की पढ़ाई प्रारम्भ हुई। सत्तर–अस्सी के दशक में इसमें अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाने लगी। आज भी इसमें सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अरबी तथा 10 से 4 बजे तक अन्य परिषदीय विद्यालयों की भांति कक्षा 5 तक अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है।

हाफिज नेसार 'उर्फ' सेराज कहां पैदा हुए और उनकी मृत्यु कहां हुई यहां के निवासियों को नहीं पता। लेकिन जो काम वे कर गए उसकी मिसाल आज भी कायम है। इस विद्यालय में सरकार से कोई अनुदान नहीं आता अलबत्ता सर्वशिक्षा अभियान के तहत बच्चों को निःशुल्क किताबें अवश्य मिल जाती हैं। इस स्कूल में वर्तमान में गांव के ही तीन बेरोजगार युवक शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। गांव से चन्दा इकट्ठा करके और बच्चों से 15 रु. मासिक शुल्क लेकर इन अध्यापकों को 600 रु. प्रति अध्यापक मानदेय दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कदम सराहनीय हैं। अब गांव में बेसिक प्राइमरी मकतब स्कूल, प्राथमिक विद्यालय कमालपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कन्या जूनियर हाईस्कूल, राष्ट्रीय इंटर कालेज, कमालपुर, हरिद्वार राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाम से मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। इसके अलावा कुछ निजी संस्थान भी खुल गए हैं। बेसिक प्राइमरी स्कूल मकतब में पहले तो हिन्दू और मुस्लिम दोनों वर्ग के बच्चे पढ़ते थे लेकिन वर्तमान में यह अत्यंत पिछड़े मुस्लिम

वर्ग के बच्चों तक सीमित रह गया है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू होने पर अधिकांश बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने चले गए हैं जहां उन्हें मिड डे मील विशेष रूप से आकर्षित करता है। अनुसूचित वर्ग के बालक व बालिकाओं के लिए मध्याह् भोजन (मिड डे मील) निःसन्देह वरदान सिद्ध हुआ है।

बेसिक प्राइमरी मकतब स्कूल कमालपुर से पढ़कर निकलने वाले बच्चे कम ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं लेकिन साक्षर अवश्य हो जाते हैं। अब तक इस स्कूल के पढ़े व्यक्तियों में गिने–चुने लोग ही आते हैं जिनमें सफलता के दर्शन होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर सफल व्यक्तियों में दो इंजीनियर, एक वकील, सैनिक तथा अध्यापक हुए हैं। सभी लोग यह स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करते हैं कि उनकी शैक्षिक शुरुआत इसी स्कूल से हुई थी जहां उन्हें पालने से लेकर कब्र तक की सारी जानकारी मुहैया कराई गई। इन लोगों ने समय–समय पर स्कूल की आर्थिक मदद की। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने एक बार आर्थिक मदद के तौर पर एक लाख रुपये प्रदान किए थे। इन प्रयासों से स्कूल में चार कमरे बन गए और पेयजल की व्यवस्था हो गई। जिससे यह भवन 'स्कूल' कहलाने लायक हो गया। बाद में मुस्लिमों की आंतरिक गुटबाजी के कारण यहां का शैक्षिक वातावरण दूषित होने लगा और आर्थिक मदद के द्वार भी बन्द हो गए। उचित सम्मान तथा उचित पारिश्रमिक न मिलने के कारण यहां कोई अध्यापक अधिक समय तक नहीं पढ़ाता। सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता। सिर्फ अरबी और उर्दू सीखने का लालच नहीं होता तो अभिभावक अपने बच्चों को इसमें पढ़ने नहीं भेजते। जिस स्कूल में गांव में शिक्षा की शुरुआत हुई उसी स्कूल की हालत अब अन्य स्कूलों से बदतर हो गई है।

हाफिज नेसार जैसे कितने ही समाजसेवी थे जो गुमनाम मर गए। उनका कोई भी इतिहास नहीं है। उन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिला ना ही वे कभी मीडिया की नजर में आए और ना ही किसी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन पाए। लेकिन वास्तव में शायद ऐसे ही लोग समाज के सच्चे सेवक होते हैं। आज मुस्लिम वर्ग अज्ञानता और आपसी जिद के कारण गुटबंदी का शिकार हो गया है।

आज मुस्लिम वर्ग में जो सम्पन्न लोग हैं उन्हें आगे आने की जरूरत है। उन्हें वसुधैव कुटुम्बम की भावना रखते हुए फिरके परस्ती से ऊपर उठकर मुस्लिमों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए जिससे गांवों के मुस्लिम बच्चों को तकनीकी ज्ञान मुहैया हो सके। मुस्लिम बच्चों को अरबी, उर्दू के अलावा ऐसी पढ़ाई की जरूरत है जो उन्हें कलाम के विज़न 2020 के सपनों के भारत निर्माण में सहयोग कर सके। अगर कोई सर सैयद अहमद खान की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और डा. जाकिर हुसैन की तरह जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं बना सकता तो कम से कम हाफिज नेसार की तरह गांवों की तकदीर बदलने में योगदान तो दे सकता है। यह सच है कि उलेमा ने काफी मेहनत करके मुस्लिम संस्कृति को बचाने की कोशिश की लेकिन आपसी मतभेदों से कमजोर पड़ गए। उन्हें लोक सेवा की भावना विकसित कर जनकल्याण करना चाहिए। किसी अन्य समुदाय की आलोचना के बजाए अपने समाज में बुरी तरह से व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए।

'प्रथम' नामक एक गैर–सरकारी संगठन की एक महिला कार्यकर्ता ने बातचीत में बताया कि 'बिहार के परिषदीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा उत्तम शैक्षिक वातावरण है।" उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की अपर्याप्तता और अध्यापक–छात्र अनुपात भी इसका एक कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस कमी को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रही है।

सिर्फ सरकार से चमत्कारिक परिणामों की आशा के बजाय आज आवश्यकता है उन लोगों की जो अपने आसपास के लोगों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने की नैतिक जिम्मेदारी निभाएं।

(लेखक प्राथमिक विद्यालय कमालपुर, विकास खण्ड–धानापुर, जनपद–चन्दौली, उ.प्र. में सहायक अध्यापक के पद कर कार्यरत हैं।)

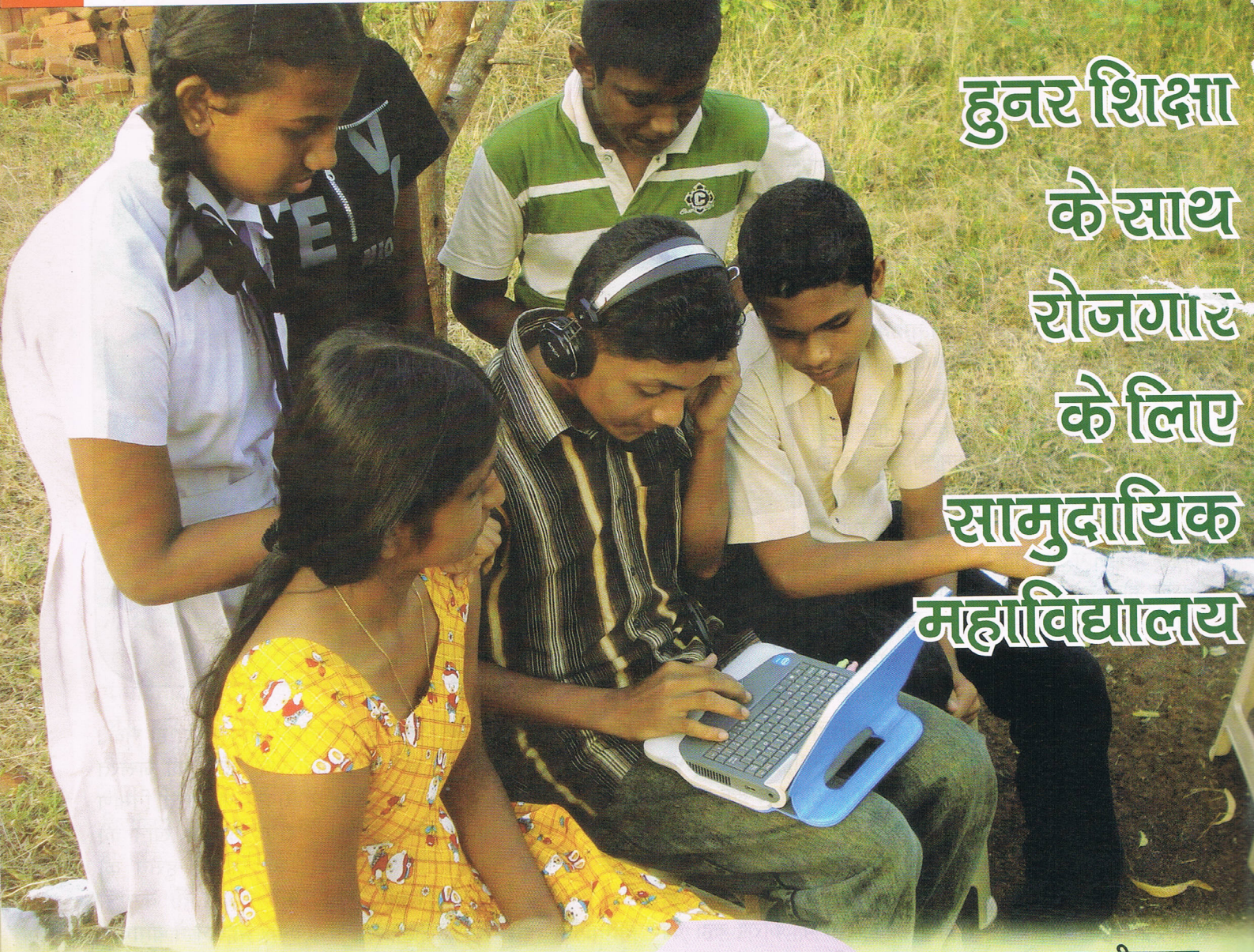

हुनर शिक्षा के साथ रोजगार के लिए सामुदायिक महाविद्यालय

भावना श्रीवास्तव

देखा गया है कि शहरी युवा तो मनचाहे डिग्री-डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ग्रामीण युवाओं को घर से दूर रहकर डिग्री-डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे युवाओं को पारंपरिक डिग्रियों को लेने के बाद रोजगार नहीं मिल पाता है और पारंपरिक शिक्षा की उपयोगिता भी लगातार घटती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इग्नू और सेडमैप के संयुक्त प्रयास से कम्युनिटी कालेज प्रारंभ किए गए हैं। अब देश में कम्युनिटी कॉलेजों के और अधिक विस्तार किए जाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि अधिक-से-अधिक युवा लाभान्वित हो सकें।

हुनर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इग्नू के सहयोग से सेडमैप द्वारा कम्युनिटी कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं। कम्युनिटी कॉलेज के पाठ्यक्रम में आई.टी. क्षेत्र के अलावा कौशल उन्नयन कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। कम्युनिटी कॉलेज को मिल रहे प्रोत्साहन और विद्यार्थियों के उत्साह को देखते हुए इनका विस्तार किया जा रहा है। सामुदायिक महाविद्यालयों से ग्रामीण युवाओं को भी पूरा लाभ मिल सकेगा।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने और नए उद्यमी तैयार करने के साथ ही जीवन शिक्षा पद्धति के माध्यम से कम्युनिटी कॉलेज में शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। रोजगारोन्मुखी एक–वर्षीय डिप्लोमा, अप टू छह माह एवं छह माह के सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए छात्र–छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह नई पहल है।

देश में लाखों युवा हर साल रोजगार–स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं लेकिन इनमें से कुछ ही युवा कार्य में दक्ष होते हैं। बाकी अपने कार्य में दक्ष नहीं होते इसलिए उन्हें रोजगार–स्वरोजगार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कम्युनिटी कॉलेज में कोर्स के माध्यम से ऐसे युवाओं को कम समय और कम फीस में हुनर शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और वे सीधे अपने आपको रोजगार–स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे। शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं जिनमें रोजगार के अवसर मिलने के अलावा कार्यकुशलता भी बढ़ेगी।

पहले सत्र में पढ़ाई प्रारंभ करने वाले छात्र–छात्राओं को सेडमैप और इग्नू द्वारा विभिन्न उद्योगों में प्लेसमेंट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ उद्योगों में काम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पूरा होने पर देश एवं विदेश के उद्योग सेक्टर में रोजगार के अनेक अवसर ऐसे विद्यार्थियों को मिल सकेंगे।

कम्युनिटी कॉलेज का मुख्य उद्देश्य : युवाओं को रोजगार–स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को तकनीकी कौशल से संपन्न करना कम्युनिटी कॉलेज का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा के साथ प्रशिक्षण और उसे रोजगार से जोड़ना मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करना है। कम्युनिटी कॉलेज ने स्थानीय स्तर पर रोजगार–स्वरोजगार का गहन विश्लेषण करते हुए रोजगार के अवसरों व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया है।

सर्वाधिक लाभ किन्हें : इन कॉलेजों से कम पढ़े–लिखे रोजगार–स्वरोजगार स्थापना की चाह रखने वाले गरीब, ग्रामीण और शहरी युवा जो पढ़ाई के साथ–साथ रुपये कमाना चाहते हो, अथवा जो नियमित कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकते या किसी कारणवश उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जो पार्टटाइम जॉब के इच्छुक हैं या फ्लेक्सीबल टाइम के अनुसार काम करना या पढ़ना चाहते हैं उन महिलाओं और पुरुषों को लाभ मिल सकेगा। कॉलेज में अकुशल श्रमिकों और रोजगार के इच्छुक लोगों को भी प्रवेश दिया जा रहा है।

मानदण्ड :

- उच्च शिक्षा का कोई मापदंड निर्धारित नहीं।
- जॉब ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट सुविधा देने का प्रयास।
- www. switchajob.com पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश तो पा ही सकेंगे रोजगार भी मिल सकेगा।
- आयुसीमा का बंधन नहीं।
- प्रशिक्षणार्थियों को इग्नू द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।

ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा : जो युवा कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई करके भविष्य संवारना चाहते हैं वे आगामी जनवरी माह से प्रारंभ होने वाले सत्र के लिए www. switchajob.com पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा ई–मेल admission.cicc@gmail.com, director.cicc@gmail.com पर आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दूरभाष सुविधा भी उपलब्ध है 0755–4000902 या 947 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए सेडमैप के 16–ए अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित मुख्यालय पर संपर्क किया जा सकता है।

कम समय में हुनर शिक्षा : देखा गया है कि देश में लाखों युवा हर साल रोजगार–स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं लेकिन इनमें से कुछ ही युवा कार्य में दक्ष होते हैं। बाकी अपने कार्य में दक्ष नहीं होते इसलिए उन्हें रोजगार–स्वरोजगार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कम्युनिटी कॉलेज में कोर्स के माध्यम से ऐसे युवाओं को कम समय और कम फीस में हुनर शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और वे सीधे अपने आपको रोजगार–स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे।

पढ़ाई के साथ उद्योगों में काम : सेडमैप और इग्नू विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों में प्लेसमेंट दिलाने की व्यवस्था भी करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ उद्योगों में काम कर सकते हैं। इस दौरान विद्यार्थियों को उनके श्रम का लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने पर देश एवं विदेश के उद्योग सेक्टर में रोजगार के अनेक अवसर ऐसे विद्यार्थियों को मिल सकेंगे।

क्या करना होगा : स्कूली शिक्षा के बाद सीधे टेक्निकल शिक्षा की डिग्री या डिप्लोमा विद्यार्थी प्राप्त कर सकेगा। सीधे पीजी करने के लिए छात्र–छात्राओं को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। इस कोर्स को पूरा कर लेने के बाद छात्र–छात्राएं कम्युनिटी कॉलेजों के पीजी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हो सकेंगे। अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह यहां भी कम्युनिटी कॉलेज कार्य करेंगे।

सेंट्रल जेल में महिला बंदियों को मिला ड्रीम स्कूल

"अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं" किसी महापुरुष के इस ध्येय वाक्य पर अब जेल अधिकारी कार्य कर रहे हैं तभी तो मध्य प्रदेश में जेलों को सुधारगृह का स्वरूप दिया जा रहा है। बंदियों को सजा पूरी करने के बाद जीवन जीने योग्य अच्छा नागरिक बनाने और उनकी योग्यता के अनुरूप हुनर सिखाने का अभिनव प्रयास किया गया है।

देखा गया है कि सजा पूरी कर जेल से निकलने के बाद बंदियों को रोजगार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि जेल में ही इन बंदियों को स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दे दिया जाए तो जेल से बाहर निकलने के बाद वे अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। कुछ ऐसा ही सोचकर मांग और उपयोगिता के आधार पर जेलों में विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

जेलों में अधिकतर बंदी निरक्षर हैं और उनके अपराधी बनने का यह एक बड़ा कारण भी है। प्रदेश की जेलों में एक अभिनव पहल के तहत राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। मिशन के माध्यम से प्रत्येक निरक्षर बंदी को आठवीं तक की अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की गई है। यही नहीं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से जेलों में बंदियों को उच्च शिक्षा देने के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

इसी शृंखला में केन्द्रीय जेल के महिला वार्ड में माय ड्रीम स्कूल तैयार किया गया है जहां महिला बंदी पढ़ाई–लिखाई सीख सकेंगी। केन्द्रीय जेल भोपाल में विभिन्न आयु वर्ग की 30 महिला बंदी हैं जिन्होंने जेल में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन की रुचि जताई है। इन्हें जेल प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा द्वारा अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

जेल में महिला बंदियों को ब्यूटीशियन के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। पुरुष बंदियों के लिए भी नए प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए हैं। इनमें सर्किल जेलों में राजमिस्त्री, वीडियो शूटिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, जैविक खाद निर्माण, स्क्रीन प्रिंटिंग, बिजली सुधारना आदि ट्रेड शामिल हैं। संगीत विद्यालय में इच्छुक बंदियों को गायन और संगीत का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यही नहीं बंदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था भी की जा रही है।

प्रदेश की जेलों में गौशालाएं खोलने की अभिनव पहल की गई है। दस जेलों में गौशालाएं खोली जा चुकी हैं। इनमें एक हजार गौवंश संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में बंदियों ने रुचि दिखाई है और सभी धर्म एवं जाति के बंदी गौपालन के कार्य को पूरी लगन और समर्पण से कर रहे हैं।

जेलों में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं एवं सर्वधर्म सम्भाव पर केन्द्रित शिक्षण–प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। भोपाल जेल में विपश्यन केन्द्र तथा मनोचिकित्सा एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित किया गया है। सभी धर्म गुरुओं को जेलों में आमंत्रित कर उनके प्रवचन कराए जाते हैं। इससे जेलों का वातावरण सुधर रहा है, बंदियों के विचारों में परिवर्तन आ रहा है और वे अपने को सुधारने के लिए प्रेरित हुए हैं।

जेलों की स्थितियां सुधारने के लिए पर्यावरण शुद्धता और अतिक्रमण रोकने पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। खाली भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के लिए विधिक सेवा केन्द्र कार्य कर रहा है। इन सुधार कार्यों से ना केवल जेल सुधार गृह में परिवर्तित हो रहे हैं बल्कि जेल से निकलने वाले बंदियों को अब जीवन के नए अर्थ मिले हैं।

कैदी बनेंगे इंजीनियर –व्यक्तित्व में सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है फिर चाहे वह साधारण व्यक्ति हो अथवा अपराधी। यही धारणा केन्द्रीय जेल भोपाल में देखने को मिली है जहां बंदियों ने न केवल शिक्षा में अपनी रुचि दिखाई अपितु उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में भी वे अग्रणी बने हैं। यहां इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण निर्माण उद्योग परिषद नई दिल्ली के माध्यम से दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में मैकेनिकल, इलैक्ट्रिक एवं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के डिप्लोमा कोर्स शामिल किए गए हैं। अब तक 119 बंदी तीसरा सेमेस्टर पूर्ण कर चुके हैं।

योग्यता बढ़ाने पर जोर : इन डिग्री–डिप्लोमा कोर्स का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को रोजगार–स्वरोजगार से जोड़ना रहेगा जहां स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों को कॉलेज जाने से पहले पेशेवर और तकनीकी कौशल से संपन्न किया जाएगा। पश्चिमी देशों में कम्युनिटी कॉलेज काफी लोकप्रिय हैं। इन्हें वहां काउंटी, जूनियर टेक्निकल या सिटी कॉलेज भी कह दिया जाता है। ये कॉलेज उच्च शिक्षा और निम्न श्रेणी की टैरिटरी शिक्षा प्रदान करते हैं और डिप्लोमा व सर्टिफिकेट देते हैं। किसी कारण से डिग्री कोर्स की पढ़ाई न कर सकने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों को कम्युनिटी कॉलेज योजना के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी पढ़ाई का अवसर प्रदान किया

जाएगा। कम्युनिटी कॉलेज दिलचस्प और जीवनयापन पर केन्द्रित रहेंगे जहां पुरस्कार के रूप में पढ़ाई से वंचित छात्रों को भविष्य संवारने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और बेकारी दूर करने को नवाचार भी कहा जा सकता है। शिक्षा के साथ प्रशिक्षण और उसे रोजगार से जोड़ना मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करना है।

अवधारणा

- ये कम्युनिटी कॉलेज उच्च शिक्षा की एक व्यापक संस्था के रूप में कार्य करेंगे।
- बाद में माध्यमिक स्कूल स्तर तक शिक्षा का प्रस्ताव।
- कॉलेज में व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र में उपयोगी पाठ्यक्रम होंगे तथा सतत शिक्षा का विस्तार किया जाएगा।
- जिस क्षेत्र में कॉलेज शुरू किए जाएंगे वहां कार्यबल की जरूरत को पूरा किया जाएगा।
- सेतु पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- ये कॉलेज स्थानीय स्तर पर रोजगार–स्वरोजगार का गहन विश्लेषण करेंगे और रोजगार के अवसरों व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे।

बढ़ेगी कार्यकुशलता : शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। इससे हर हाथ को काम और हर हाथ को प्रमाणपत्र मिल सकेगा। सभी रोजगार के अवसर मिलने के अलावा कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। जीवन शिक्षा पद्धति के माध्यम से कम्युनिटी कॉलेज शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

नेक सेवा कार्य : सेडमैप स्थानीय उद्योग और जनभागीदारी से लाभकारी रोजगार खोजने में गरीब, आदिवासी और ग्रामीण महिला–पुरुषों की सहायता करेगा। नेक सेवा कार्य की यह अनूठी परियोजना सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाएगी। कोई बेरोजगार न रहे और रोजगार के अवसर मिलते रहे, इसके लिए वातावरण तैयार करने और स्वस्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य भी कम्युनिटी कॉलेज करेंगे। माना जा रहा है कि ये कॉलेज गरीबी और बेकारी दूर करने में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके अथवा रोजगार के अच्छे अवसरों की तलाश में जुटे लोगों को सहायता मिल सकेगी। कम्युनिटी कॉलेज का उद्देश्य शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाना है। ये सामुदायिक महाविद्यालय समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक आवश्यकता के अनुरूप समुदाय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं तथा शासकीय कन्या विद्यालय में अतिथि वक्ता हैं।)

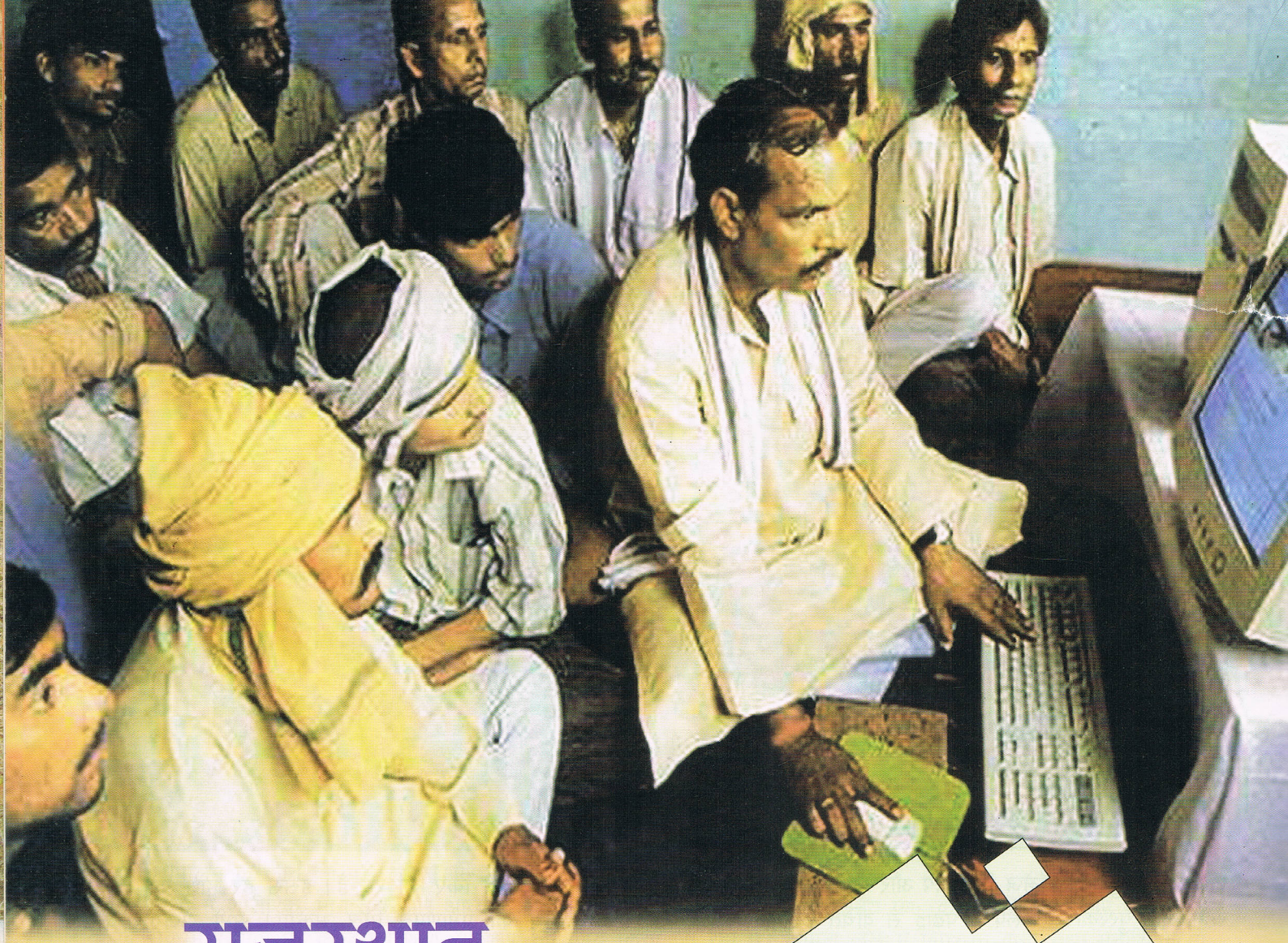

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा का प्रभाव

राजस्थान में जहां 1971 की जनगणना में साक्षरता दर 19.7 प्रतिशत थी वही 2001 की जनगणना में साक्षरता दर 61.03 प्रतिशत तक पहुंच गई। राज्य में 1965 के बाद प्रौढ़ शिक्षा को विशेष महत्व मिला। पांचवीं योजना में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा के तहत चलाए गए दो कार्यक्रमों – किसान साक्षरता तथा क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रमों से हजारों किसान लाभान्वित हुए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से राज्य के गांवों का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन व्यापक रूप में प्रभावित हुआ है। इस लेख में लेखिका ने राज्य के जेठन्तरी गांव के संदर्भ में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभाव से आए बदलाव का जायजा लिया है।

डॉ. सुनिता बोहरा

राजस्थान में 1952 में सामुदायिक विकास योजना के तहत राज्य सरकार ने साक्षरता के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। फिर आया लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर, 1956 को हुई। उसके साथ ही राज्य में सामुदायिक विकास केन्द्र के माध्यम से समाज शिक्षा का कार्यक्रम बनाया गया। वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में राज्य स्तर पर प्रारम्भ

शिक्षण संस्थाएं

गांव में एक माध्यमिक विद्यालय तथा दो उच्च प्राथमिक एवं सात प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें एक संस्कृत प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। माध्यमिक विद्यालय में 544 छात्र व छात्राएं हैं। इनमें छात्राओं की संख्या कम है। माध्यमिक स्तर पर कुल 92 छात्राएं है एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की संख्या काफी अच्छी है। गांव में अक्सर बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर तक ही पढ़ाते हैं। तत्पश्चात् उनकी शादी कर दी जाती है। गांव में एक गैर–सरकारी अंग्रेजी माध्यम का प्राथमिक विद्यालय है जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का काफी अच्छा स्तर है।

जो लोग स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या रह गए हैं उनको साक्षर करने के लिए अनेक शैक्षणिक संस्थाएं कार्यरत हैं यथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं।

संचार के साधन

जेठन्तरी गांव में साक्षरता के माध्यम से जो क्रान्ति हुई है उसी के परिणामस्वरूप लोग जागरूक हुए हैं जिससे लोगों में संचार के प्रति जागरुकता है। यथा गांव में टेलीफोन, डाक तार विभाग आदि का तेजी से विकास हुआ है। लोग समाचार जानने के लिए विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं तथा रेडियो, टेलीविजन आदि का उपयोग कर रहे हैं जिससे लोगों में आधुनिक जीवन के प्रति रुचि बुढ़ी है। संचार के माध्यम से लोग राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, [illegible] की खबरें [illegible] प्रौढ़ शिक्षा को शुरू किया गया। 2 अक्टूबर, 1978 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ और उसी समय प्रौढ़ शिक्षा निर्देशन की स्थापना जयपुर में की गई थी।

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति के तत्त्वावधान में प्रौढ़ शिक्षा साहित्य के सृजन और प्रौढ़ शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य संदर्भ केन्द्र ने भी प्रौढ़ शिक्षा प्रसार में अपना योगदान दिया।

उच्च शिक्षा केन्द्रों को प्रौढ़ शिक्षा से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय स्तर का सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया और राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसी तरह बाद में राज्य के कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत् शिक्षा विभाग बनने से उच्च शिक्षण संस्थाओं का सीधा जुड़ाव प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में हुआ और कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक वर्ग ने प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यों में अपना तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ हो जाने के बाद नवसाक्षरों के लिए कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। अतः राज्य के

1995 में प्रयास किए गए थे। प्रारम्भिक दौर में लोगों ने इस कार्यक्रम को अधिक महत्व नहीं दिया लेकिन धीरे–धीरे साक्षरता कार्यक्रम को महत्व मिलने लगा।

साक्षरता कार्यक्रम वर्तमान में

साक्षरता कार्यक्रम का जेठन्तरी गांव पर काफी अच्छा असर पड़ा है। राष्ट्रीय एवं राज्य–स्तरीय साक्षरता संस्थाएं लोगों को साक्षर करने में अभी भी जुटी हुई हैं। साक्षरता कार्यक्रम के प्रयासों से गांव की वर्तमान साक्षरता स्थिति 91 प्रतिशत है।

वर्तमान में गांव में उत्तर साक्षरता का दौर खत्म हो चुका है तथा सतत् शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसके अन्तर्गत गांव में परिस्थितिवश जो साक्षर होने से रह गए हैं उनको साक्षर करने का कार्य चल रहा है। साक्षरता की स्थिति को देखकर यह महसूस किया जा रहा है कि गांव सतत् शिक्षा के अन्तर्गत पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल कर लेगा। वर्तमान में साक्षरता कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा का महत्व कब और क्यों?

सन् 1995 से पहले प्रौढ़ शिक्षा का इतना महत्व नहीं था। 1995 के बाद जेठन्तरी गांव में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा गांव की ही एक महिला जमनादेवी के बूते पर मिला। जमना देवी हर काम में निपुण थी पर अनपढ़ थी। जब उसके बच्चों ने पढ़ाई की शुरुआत की तब आया [illegible] गए–किसान साक्षरता तथा क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम। किसान साक्षरता की योजना उदयपुर, कोटा, जयपुर तथा भरतपुर जिलों में चलाई गई। बाद में जोधपुर और बीकानेर को भी शामिल कर लिया गया। प्रत्येक जिले में 80 केन्द्र स्वीकृत थे और प्रत्येक केन्द्र पर 30 प्रौढ़ों के शिक्षित होने की व्यवस्था की गई। इस योजना से हजारों किसानों को लाभ हुआ। प्राथमिक प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में यह बड़ी उपलब्धि थी। ठीक इसी प्रकार क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम में गैर–सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया गया।

प्रौढ़ शिक्षा के प्रयास तथा महत्व को देखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा योजना के क्रियान्वयन और समन्वय के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया। 3 अक्टूबर, 1978 को राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय स्थापित किया गया। छह प्रमुख नगरों में जिलों में प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के पद भी निर्धारित किए गए और शेष जिलों में प्रौढ़ शिक्षा परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

इसका प्रभाव यह हुआ कि राजस्थान के लगभग सभी जिलों में सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का एक ढांचा खड़ा कर दिया और

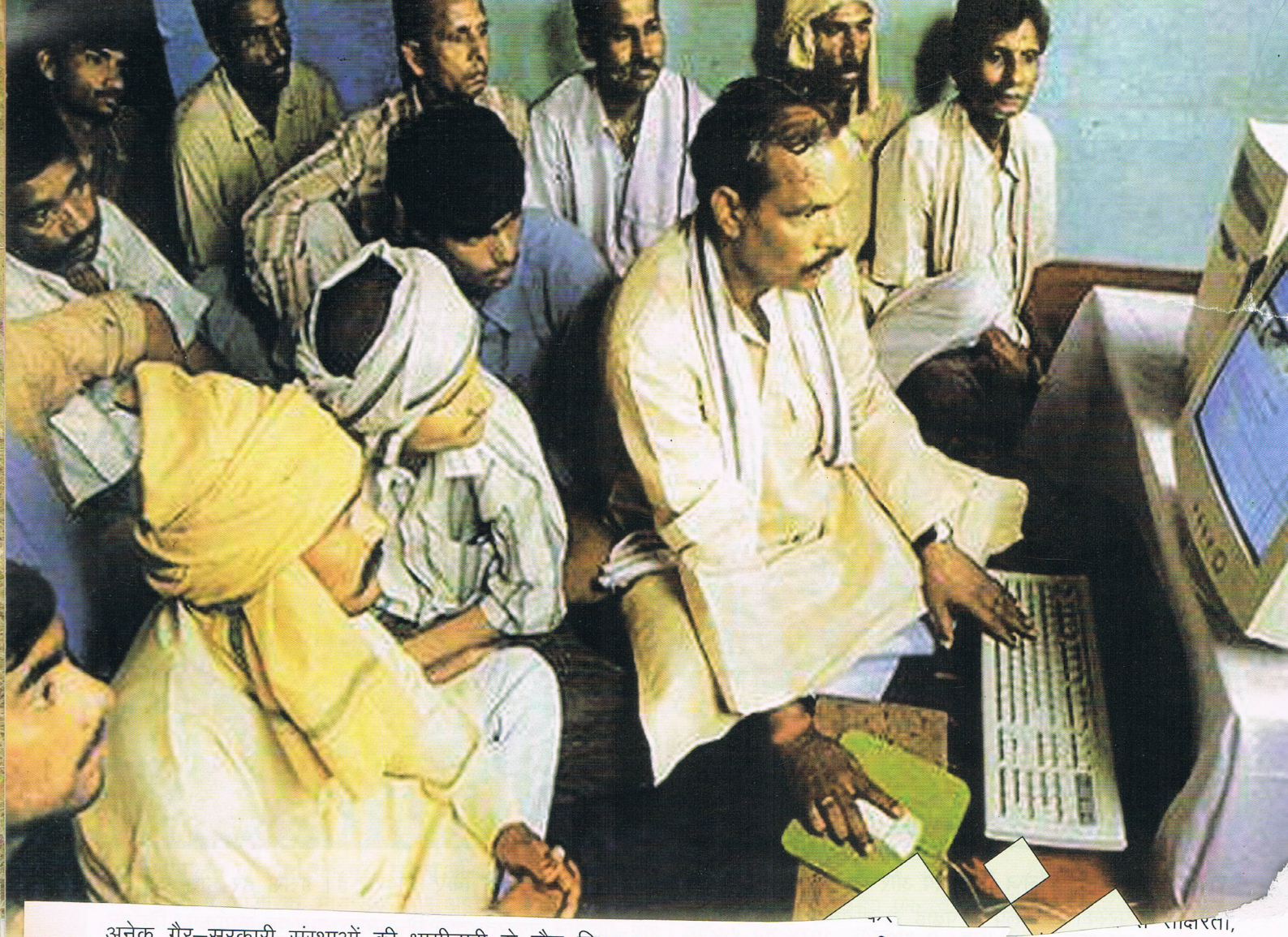

अनेक गैर–सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से प्रौढ़ शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया।

साक्षरता अभियान का लक्ष्य एवं उद्देश्य

- सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम निरक्षरता को मिटाने एवं साक्षरता लक्ष्य प्राप्ति का एक प्रमुख अभियान है जिसमें जन–समुदाय, सरकारी और गैर–सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने पर बल दिया जाना अपेक्षित है।
- साक्षरता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वातावरण निर्मित करना, 6–14 आयु वर्ग के शिक्षार्थियों की शिक्षा सुनिश्चित करना, 16–35 आयु वर्ग के सभी निरक्षर व्यक्तियों को क्रियात्मक साक्षरता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय सरकारी कार्यक्रमों यथा महिला उत्थान, जनसंख्या सीमित रखने, पर्यावरण आदि के प्रति जनचेतना जागृत करना।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि सभी व्यक्ति सम्पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन प्राप्त कर सकें,

उत्तर साक्षरता, सतत् शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्रौढ़ शिक्षा का व्यापक फैलाव किया जा रहा है। इससे न केवल साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है बल्कि कार्यात्मक साक्षरता व अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा वातावरण बना है।

जेठन्तरी गांव एक परिचय

जेठन्तरी गांव हनुमानजी मन्दिर के चारों ओर बसा हुआ है। गांव की कुल जनसंख्या 4388 है जिसमें पुरुष जनसंख्या 2223 है तथा स्त्रियों की कुल संख्या 2165 है। गांव में पुरुष–महिला लिंगानुपात 1000–975 है।

ग्राम साक्षरता समिति

गांव में ग्रामीणों की ही एक साक्षरता समिति बनाई गई है जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं को गांव तक लाने का कार्य करती है। इसके अन्तर्गत गांव में संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है। गांव की साक्षरता समिति पर उनका बाह्य रूप से पूर्व दबाव बनाया हुआ है।

शिक्षण संस्थाएं

गांव में एक माध्यमिक विद्यालय तथा दो उच्च प्राथमिक एवं सात प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें एक संस्कृत प्राथमिक विद्यालय भी शामिल है। माध्यमिक विद्यालय में 544 छात्र व छात्राएं हैं। इनमें छात्राओं की संख्या कम है। माध्यमिक स्तर पर कुल 92 छात्राएं है एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की संख्या काफी अच्छी है। गांव में अक्सर बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर तक ही पढ़ाते हैं। तत्पश्चात् उनकी शादी कर दी जाती है। गांव में एक गैर–सरकारी अंग्रेजी माध्यम का प्राथमिक विद्यालय है जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का काफी अच्छा स्तर है।

जो लोग स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या रह गए हैं उनको साक्षर करने के लिए अनेक शैक्षणिक संस्थाएं कार्यरत हैं यथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं।

संचार के साधन

जेठन्तरी गांव में साक्षरता के माध्यम से जो क्रान्ति हुई है उसी के परिणामस्वरूप लोग जागरूक हुए हैं जिससे लोगों में संचार के प्रति जागरुकता है। यथा गांव में टेलीफोन, डाक तार विभाग आदि का तेजी से विकास हुआ है। लोग समाचार जानने के लिए विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं तथा रेडियो, टेलीविजन आदि का उपयोग कर रहे हैं जिससे लोगों में आधुनिक जीवन के प्रति रुचि बढ़ी है। संचार के माध्यम से लोग राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, देश–विदेश आदि की खबरों का ध्यान रखने लगे हैं। यथा गांव में काफी घरों में टेलीफोन सुविधा है तथा गांव में अनेक एस.टी. डी, पी.सी.ओ. हैं।

यातायात के साधन

यहां पर आने–जाने के लिए अनेक यातायात के साधन हैं। यहां मुख्य रूप से दो मार्ग महत्वपूर्ण है। एक रेलमार्ग तथा दूसरा सड़क मार्ग।

रेलमार्ग – रेलमार्ग पश्चिम में बालोतरा तथा बाड़मेर के लिए खुला है तथा पूर्व की ओर समदड़ी, लूणी, जोधपुर तक की यात्रा की जा सकती है।

सड़क मार्ग – सड़क मार्ग मुख्य रूप से समदड़ी, बालोतरा, पाल, जोधपुर आदि को मिलाता है। यह सड़क मार्ग राष्ट्रीय मार्ग न होते हुए भी अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां पर यातायात हमेशा खुला रहता है। इसके अलावा लोगों के निजी वाहन भी हैं जिनमें जीप, कार, ट्रक, ट्रेक्टर, मोटरसाइकिल आदि मुख्य हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरुआती दौर

सर्वप्रथम जेठन्तरी गांव में साक्षरता मिशन के अन्तर्गत सन् 1995 में प्रयास किए गए थे। प्रारम्भिक दौर में लोगों ने इस कार्यक्रम को अधिक महत्व नहीं दिया लेकिन धीरे–धीरे साक्षरता कार्यक्रम को महत्व मिलने लगा।

साक्षरता कार्यक्रम वर्तमान में

साक्षरता कार्यक्रम का जेठन्तरी गांव पर काफी अच्छा असर पड़ा है। राष्ट्रीय एवं राज्य–स्तरीय साक्षरता संस्थाएं लोगों को साक्षर करने में अभी भी जुटी हुई हैं। साक्षरता कार्यक्रम के प्रयासों से गांव की वर्तमान साक्षरता स्थिति 91 प्रतिशत है।

वर्तमान में गांव में उत्तर साक्षरता का दौर खत्म हो चुका है तथा सतत् शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसके अन्तर्गत गांव में परिस्थितिवश जो साक्षर होने से रह गए हैं उनको साक्षर करने का कार्य चल रहा है। साक्षरता की स्थिति को देखकर यह महसूस किया जा रहा है कि गांव सतत् शिक्षा के अन्तर्गत पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल कर लेगा। वर्तमान में साक्षरता कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा का महत्व कब और क्यों?

सन् 1995 से पहले प्रौढ़ शिक्षा का इतना महत्व नहीं था। 1995 के बाद जेठन्तरी गांव में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा गांव की ही एक महिला जमनादेवी के बूते पर मिला। जमना देवी हर काम में निपुण थी पर अनपढ़ थी। जब उसके बच्चों ने पढ़ाई की शुरुआत की तब आए दिन उसके बच्चों की शिकायत उसे सुनने को मिलती थी कि उसके बच्चे पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हैं तब उसको आभास हुआ कि अगर मैं पढ़ी–लिखी होती तो आज मुझे अपने बच्चों की शिकायत सुनने को नहीं मिलती। इसके समाधान के लिए बच्चों के अध्यापक से मिली अपनी समस्या से अवगत कराया कि मैं अनपढ़ हूं पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूं। तभी स्कूल के अध्यापक ने उसे यही सलाह दी कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है। शाम को तुम प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जाकर पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ा सकती हो। वह दिन में खेतीबाड़ी का काम संभालती, शाम को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जाकर पढ़ती, बाद में अपने बच्चों को पढ़ाती। आज उसके बच्चे पढ़–लिख कर अच्छे पद पर कार्यरत हैं। जमनादेवी से प्रभावित होकर गांव के कई लोगों ने प्रौढ़ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया।

जेठन्तरी गांव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

जेठन्तरी गांव में कुल चार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं :
1. सतत् शिक्षा समिति केन्द्र, 2. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, 3. जनजागरण प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, 4 विद्याभारती प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र।

जेठन्तरी गांव में वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा से लाभान्वित कुल व्यक्ति

सर्वे करने पर यह तथ्य भी सामने आया है कि गांव में कुछ लोगों का शिक्षा स्तर निम्न है। इसका कारण यह है कि जो लोग मजदूरी के लिए दिन भर खेती और अन्य दूसरे कार्यों में लगे रहते है शाम का समय जो उनके पास बचता है वे उस समय को चौपाल या अन्य कार्य में बिताते हैं। उनके लिए सायंकालीन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का आयोजन किया गया है। लेकिन ये लोग अपने आलस्य के कारण कभी–कभी ही प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जाते हैं। इससे शिक्षा का स्तर प्रभावित होता है।

निम्न शिक्षा का दूसरा कारण यह है कि सरकार के द्वारा गांवों में जो निःशुल्क किताबें दी जाती हैं वे उन तक पूरी नहीं पहुंच पाती। जिससे उन्हें बाधाएं आती हैं और वे शिक्षा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। एक अन्य कारण यह भी है कि कुछ लोग शिक्षा में रुचि नहीं लेते हैं। निम्न शिक्षा दर होने के कारण गांव के विकास में थोड़ी कठिनाईयां आ रही हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रभाव

जेठन्तरी गांव में साक्षरता मिशन का काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर एक नये समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लोग शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं। एक ओर समाज की रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास आदि से बाहर निकल कर एक साथ सभी शिक्षित होने का सपना मन में उतार कर शिक्षित होने लगे हैं वहीं औरतें अपनी पर्दा प्रथा आदि से बाहर निकलकर सामूहिक रूप से पढ़ने–लिखने के लिए खुलकर सामने आ रही हैं। गांव में बालिकाओं को शिक्षित करने को काफी बढ़–चढ़ कर महत्व मिल रहा है। शिक्षा का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है यथा सामाजिक व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन तथा सांस्कृतिक जीवन।

सामाजिक प्रभाव

प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से गांव में काफी परिवर्तन आया है एवं नये विचारों का विकास हुआ है। यथा गांव में जातिवाद में कमी आई है जिससे लोग जातिवाद से ऊपर उठकर सभी के हित के लिए सोचने लगे हैं। लोग धर्मनिरपेक्षता को समझने लगे हैं। समाज में फैली कुरीतियों के प्रति जागरूक हुए हैं। अब अन्धविश्वास, जादू–टोनों के जाल से बाहर निकलकर आधुनिक चिकित्सा पर विश्वास करने लगे हैं। साक्षरता के कारण ही लोग परिवार नियोजन पर विश्वास करने लगे हैं, दहेज का विरोध करने लगे हैं, मृत्यु भोज भी कम होने लगे हैं। लोगों ने बाल विवाह को भी अवैध ठहराया है। बुजुर्ग लोग अपनी भूल सुधारने के लिए समय पर नई पीढ़ी को स्कूल भेज रहे हैं एवं जहां तक संभव हो, उच्च शिक्षा भी प्रदान करवा रहे हैं।

आर्थिक प्रभाव

प्रौढ़ साक्षरता मिशन का प्रभाव हमें आर्थिक जीवन पर विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वर्तमान में लोगों का आर्थिक जीवन–स्तर उच्च होने लगा है। लोग साहूकार के बजाय विभिन्न बैंकों से ऋण लेते हैं। लोग अपना हिसाब खुद रखने लगे हैं। साक्षरता की वजह से लोग अपने अनाज के भावों के बारे में भी समझने लगे हैं। पहले नाममात्र भाव पर अपने ही गांव के किसी सेठ अथवा साहूकार को बेच देते थे। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लोग मजदूरी के लिए शहरों में काम

करने जाने लगे हैं। लोग उत्तम बीज का उपयोग करने लगे हैं तथा नई वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य को सम्पादित करने लगे हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हुई है।

राजनीतिक प्रभाव

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम से पहले राजनीति के प्रति लोग अचेत थे। वे नेता अथवा सरकार से कोई वास्ता नहीं रखते थे। लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। लोग अपने नेता को स्वयं ही अपने स्वविवेक से मतदान करते हैं। पहले वे किसी के बहकावे में आकर मतदान कर देते थे। वर्तमान में लोग राजनीति में बढ़–चढ़कर भाग लेने लगे हैं। लोगों में राजनीति के प्रति नई चेतना का संचार हुआ है। आज लोग अपनी पसन्द के मुताबिक सही नेता का चुनाव करते हैं तथा भ्रष्ट नेता को वही पर मात दे देते हैं। वर्तमान में गांव के लोग भी चुनाव मैदान में खड़े होने लगे हैं जबकि पूर्व में ऐसा नहीं था। अब लोग प्रत्येक राजनीतिक गतिविधियों का ध्यान रखते हैं तथा किसी भी गलत गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए अंगुली भी उठाते रहते हैं। सरकार पर दबाव भी बनाये रखते हैं।

सांस्कृतिक प्रभाव

शिक्षा और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षित मनुष्य अच्छे सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि शिक्षित वर्ग ने ही अच्छी और सफल संस्कृतियों का निर्माण किया है। इसी के फलस्वरूप गांव जेठन्तरी भी शिक्षा की अलख जगने के कारण अच्छा सांस्कृतिक वातावरण बनने की ओर अग्रसर है। लोग अंधेरे को पार कर उजाले की ओर बढ़ रहे हैं।

निष्कर्ष

समाज सेवक हो या राजनीतिज्ञ, व्यवसायी हो या धर्माचार्य, किसान हो या मजदूर इन सबके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। गांव में सभी लोग पढ़े चाहे वह बुजुर्ग ही क्यों न हो। इसके लिए जरूरी है कि वे मन से एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें पढ़ना ही है, तभी वे सफल हो सकेंगे। गांव में जो सरकारी और गैर–सरकारी विद्यालय हैं यदि उनमें शिक्षक समय पर आएंगे तो साक्षरता स्तर में जरूर परिवर्तन आएगा। गांव में ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के अलावा अन्य संस्था की व्यवस्था की जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालयों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना चाहिए। महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए।

जेठन्तरी गांव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का विकास होने के कारण यहां पर विभिन्न महिलाओं व पुरुषों ने इन केन्द्रों में अपना दाखिला कराकर पूरे गांव को शिक्षा की ओर अग्रसर किया है। महिलाओं व पुरुषों के इन केन्द्रों में दाखिल होने के कारण गांव के बालक– बालिकाएं भी खुशी के साथ वहां जाने के लिए तैयार होने लगे हैं।

इन प्रौढ़ शिक्षा व सतत् शिक्षा केन्द्रों के कारण आज जेठन्तरी गांव में भी अशिक्षित लोगों की बजाय शिक्षित लोग अधिक हैं। अतः जेठन्तरी गांव में शिक्षा की स्थिति में सुधार आया है। वहां के महिला–पुरुष शिक्षा को अधिक महत्व देने लगे हैं तथा उनकी सोच में परिवर्तन आया है।

(लेखिका महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर में समाजशास्त्र की प्रवक्ता हैं।)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

ग्रामीण महिलाओं हेतु कुटीर उद्योग

डॉ. कविता जैन

देश में एक ओर भुखमरी और कुपोषण की समस्या है तो दूसरी ओर फल और सब्जियों की भारी क्षति। ऐसी परिस्थिति में हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उपलब्ध खाद्य पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए व इनका परिरक्षण कर लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जाए। चूंकि फल व सब्जियां तैयार होने के बाद कुछ समय तक ही खाने योग्य दशा में रह पाती हैं, ऐसे में 'प्रसंस्करण' और 'मूल्य संवर्धन' द्वारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले फल और सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ग्रामीण खेतीहर महिलाओं के लिए यह रोजगार का एक अच्छा साधन हो सकता है। पौष्टिक और औषधीय गुणों से युक्त परिरक्षित सामग्री के विपणन हेतु स्थानीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी खुला है।

'मरूस्थल' का नाम सुनते ही जहन में एक चित्र अनायास ही उभर आता है,– पानी की कमी, रेत का समन्दर, चिलचिलाती धूप, आग उगलती धरा, मीलों तक फैली बेजान– बंजर भूमि और वनस्पति के नाम पर कुछ कांटेदार झाड़ियां। फिर भी आश्चर्यजनक बात यह कि यहां की अधिकांश आबादी इतनी विकट कृषि परिस्थितियां होते हुए भी कृषि पर ही आश्रित है। आज भी मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों की 70 प्रतिशत तक जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है, वो भी अनिश्चित, अपर्याप्त वर्षा के सहारे। उस पर भी साल–दर–साल पड़ता अकाल कोढ़ में खुजली का काम करता है। यहां के कृषकों का जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं। चूंकि क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों एवं कल कारखानों की कमी है,

विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसित देश की जनता जो बद से भी बदतर हाल में जीने को मजबूर है, क्या उन्हें भुलाकर विकासशील कहलाया जा सकता है? क्या किसी भी स्थान की कृषि परम्परा को अनदेखा किया जा सकता है? कृषक जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उसी की स्थिति इतनी दयनीय.....जो सबको अन्न खिलाएं वही भूखा क्यों? यह वास्तव में चिन्तनीय विषय है।

जाहिर–सी बात है जहां कच्चा माल तथा पानी आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा वहीं तो औद्योगिक इकाइयां एवं कल कारखानें खुलेंगे। फैक्ट्रीज व इण्डस्ट्रीज की कमी के कारण अधिकांश मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में जनता के सामने दो ही विकल्प हैं या तो नौकरी की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन किया जाए या फिर, उसी कम उत्पादक भूमि पर हाड़–तोड़ मेहनत कर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए खेती की जाए।

कृषकों की स्थिति में तभी सुधार लाया जा सकता है, जब कृषकों को एक मुठ्ठी अनाज की कीमत कम से कम दो मुठ्ठी अनाज के बराबर मिले और यह कोई दिवास्वप्न नहीं हैं। इस दिवास्वप्न को हकीकत में बदला जा सकता है, कृषि उत्पादों के ''मूल्य संवर्धन'' द्वारा। सबसे पहले यह सोचिए कि उपभोक्ता को क्या चाहिए तिल या तिल का तेल। कहने का तात्पर्य है कि कृषि उत्पादों के मूल स्वरूप को प्रसंस्करण द्वारा उपभोग की सामग्री के रूप में परिवर्तित कर अधिकाधिक लाभ कमाया जा सकता है।

मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में वर्षभर उपलब्ध होने वाली मूल्य संवर्धन योग्य फल व सब्जियों/वनस्पतियों का कलैण्डर

क्र.सं.	माह	शुष्क क्षेत्रीय वनस्पतियां	प्रसंस्करित/मूल्य संवर्धित पदार्थ
1.	जनवरी– फरवरी	बेर	अचार, चटनी, जैम, स्क्वैश, कैण्डी, माउथ फ्रेशनर आदि
2.	मार्च	खिपोंली	अचार, निर्जलीकरण
3.	अप्रैल–मई	सांगरी	अचार, निर्जलीकरण
4.	मई–जून	लेसवा काचर करौंदा केर	अचार, निर्जलीकरण, चटनी, अचार, निर्जलीकरण अचार, निर्जलीकरण
5.	जून	खोखा	बिस्कुट, निर्जलीकरण
6.	जुलाई से अक्टूबर	काकडियां टिण्डा मतीरा ग्वारफली	जैम, निर्जलीकरण निर्जलीकरण निर्जलीकरण, स्कवैश अचार, निर्जलीकरण
7.	अक्टूबर– नवम्बर	काचर केर	अचार, निर्जलीकरण, चटनी, अचार, निर्जलीकरण
8.	नवम्बर– दिसम्बर	तुम्बा	अचार, मुरब्बा, जैम, पाचक चूर्ण
9.	वर्षभर उपलब्ध	ग्वारपाठा, (एलोवेरा)	अचार

मूल कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाने का सबसे सरल व सस्ता उपाय है– ''प्रसंस्करण''। अहम् बात यह है कि स्थानीय फल व सब्जियों के मूल्य संवर्धन या प्रसंस्करण हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत नहीं होती। यह कार्य छोटे पैमाने पर लघु– कुटीर उद्योग के रूप में घर पर या खेत की ढाणी में रहते हुए भी किया जा सकता है।

मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में, जहां बारानी खेती है, बारानी अर्थात् बरसात पर निर्भर कृषि, जहां सिंचाई जल की कोई व्यवस्था नहीं हो, वहां भी वर्ष भर खेतों से कुछ न कुछ उत्पादन तो होता रहता है, जिसे उचित वैज्ञानिक तरीकों से प्रसंस्करित कर मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। यद्यपि कृषक स्थानीय वनस्पतियों तथा खरपतवारों से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थों के समुचित उपयोग, परिरक्षण व मूल्य संवर्धन तकनीकों की अनभिज्ञता के कारण इन वनस्पतियों को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। यदि ग्रामीण खेतीहर महिलाएं स्थानीय सहज उपलब्ध उत्पादों का परिरक्षण व मूल्य संवर्धन कर कुटीर उद्योग के रूप में आरम्भ करें तो वर्षभर खेतों के उत्पादों का प्रसंस्करण कर अच्छा लाभ कमा सकती हैं।

कलैण्डर से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष के प्रारम्भ से लेकर अंत तक कुछ न कुछ कृषि उत्पाद व खरपतवार मिलते रहते हैं। ताजी सब्जियों की अपेक्षा प्रसंस्करित या निर्जलीकृत उत्पादों का बाजार भाव ज्यादा होता है। एक किसान यदि ताजे कृषि उत्पादों को बेचे तो ताजे बेर अधिकतम 8 रु. प्रति किलो, लेसवा 10 रु. प्रति किलो, काचर 12–15 रु. प्रति किलो, करौंदा 15–20 रु. प्रति किलो, कैर 12–15 रु. प्रति किलो, काकडियां 3–4 रु. प्रति किलो, टिण्डा 8–10 रु. प्रति किलो, मतीरा 3–5 रु. प्रति किलो, ग्वारफली 15–20 रु. प्रति किलो, ग्वारपाठा

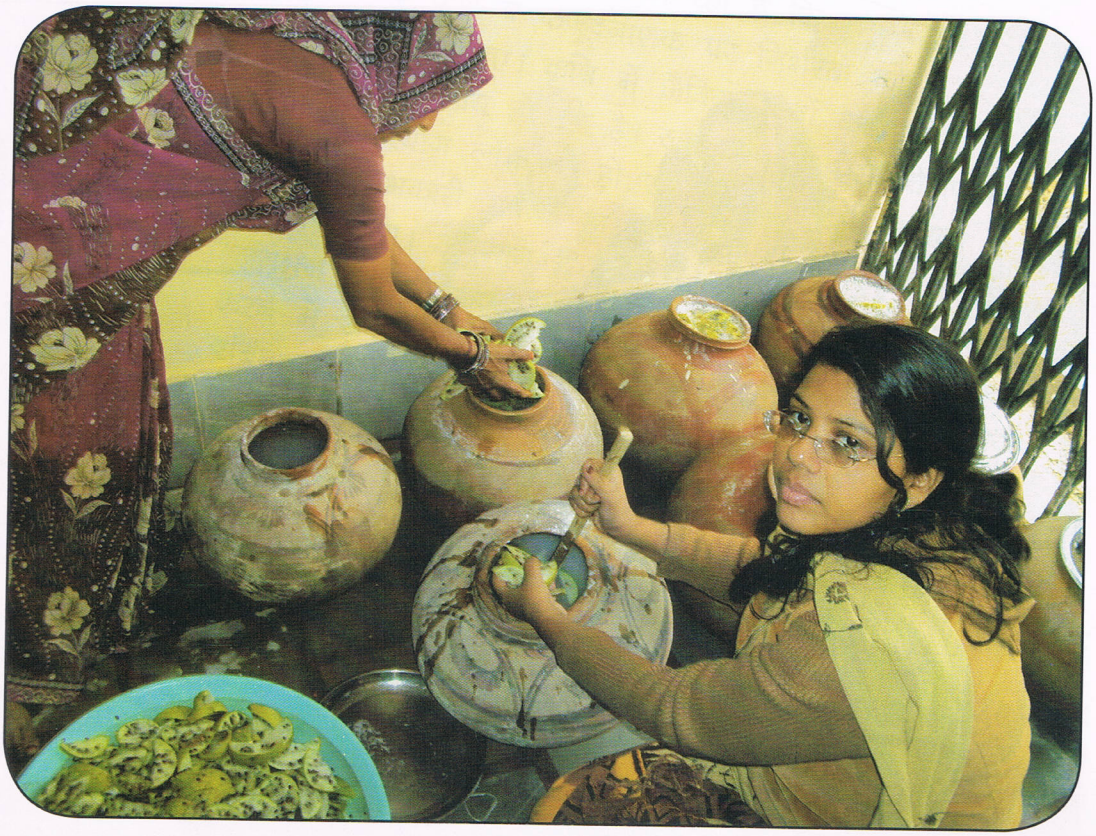

4–5 रु. प्रति किलो ही बिक पाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन बाजार में बेचने जाने पर आने–जाने का परिवहन खर्च अलग से आता है। जबकि खिंपोली, सांगरी, खोखा, तुम्बा आदि बाजार में बेचने का प्रचलन ही नहीं है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि इन्हीं उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर दिया जाए तो इनकी कीमत में कई गुना तक वृद्धि की जा सकती है। काकडियां को छिलकर सुखाने से जो सामग्री बनती है, उसे स्थानीय भाषा में 'खेलरी' कहते है, जिसकी कीमत 60 से 80 रु. प्रति किलो है। निर्जलीकृत काचर 100 से 150 रु. प्रति किलो, निर्जलीकृत ग्वारफली 100 रु. प्रति किलो, निर्जलीकृत सांगरी 150–200 रु. प्रति किलो बिक जाती है। निर्जलीकृत टिण्डे को स्थानीय भाषा में 'फोफलियां' कहते हैं, यह 60– 80 रु. प्रति किलो आसानी से नजदीकी स्थानीय बाजार में बिक जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कृषि उत्पादों का अचार, चटनी, जैम आदि बनाकर बेचा जाए तो 80–100 रु. प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य हेतु खेत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने खेत पर रहते हुए भी कृषि उत्पादों के निर्जलीकरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

प्रकृति की विडम्बना देखिए, ऋतु विशेष में उपलब्ध होने वाली वनस्पतियों व खरपतवारों में औषधीय तथा पोषक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक सिद्धांतानुसार जिस स्थान विशेष पर जो व्याधि बहुतायत में होती है, उसी स्थान पर उसके उपयुक्त उपचार हेतु औषधीय गुणयुक्त वनस्पति भी अवश्य उगती है। उदाहरणार्थ– खिंपोली नामक खरपतवार अर्थराइटस (गठिया) में, सांगरी अस्थमा व श्वसन संबधी रोगों में, तुम्बा पाचन संबधी रोगों में तथा ग्वारपाठा दर्द निवारक होता है।

ग्रामीण खेतीहर महिलाएं यदि वर्षभर उपरोक्त सामग्री का प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन करें तो इन पौष्टिक व औषधीय गुण युक्त सामग्री को लम्बे समय तक परिरक्षित कर, इन्हें उन स्थानों पर भी उपलब्ध करवा सकती हैं जहां इनकी आवश्यकता है पर उपलब्धता नहीं। यदि गुणवत्ता व पैकिंग अच्छी हो तो राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक के बाजार मूल्य सवंर्धित पदार्थ के विपणन हेतु खुले हैं।

ज्ञातव्य है फल व सब्जियां तैयार होने के बाद केवल कुछ ही समय तक खाने योग्य दशा में रह पाती हैं। अपने मौसम में ये प्रचुर मात्रा में व कम मूल्य में उपलब्ध होती हैं। अधिक उत्पादन होने पर कभी–कभी इनका मूल्य इतना कम हो जाता है कि उत्पादक को अपने परिश्रम का उचित मूल्य भी मिलना मुश्किल हो जाता है। मौसम निकल जाने के बाद ये मिलती ही नहीं और अगर मिल भी जाए तो इनका मूल्य अधिक होता है। प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन द्वारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले मौसमी फल व सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। देश में एक ओर भुखमरी तथा कुपोषण की समस्या, दूसरी ओर फल व सब्जियों की भारी क्षति। ऐसी परिस्थिति में हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उपलब्ध खाद्य पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग किया

जाए व इनका परिरक्षण कर लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जाए।

भारत फल उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरा तथा सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है, फिर भी मात्र 2 प्रतिशत का ही प्रसंस्करण किया जा रहा है। 30–40 प्रतिशत तक सामग्री परिवहन के दौरान या अन्य कारणों से नष्ट हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार, फलों की कटाई के उपरांत विभिन्न अवस्थाओं में देश के कुल उत्पादन के 20–22 प्रतिशत से अधिक की क्षति हो जाती है। विश्व के प्रमुख फल उत्पादक राष्ट्रों में मलेशिया में 73 प्रतिशत, ब्राजील में 70 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 60–70 प्रतिशत तथा इजराइल में 50 प्रतिशत फलों का प्रसंस्करण होता है। जबकि भारत में फल एवं सब्जियों का 2 प्रतिशत से भी कम ही प्रसंस्करण होता है और प्रसंस्करित कृषि उत्पाद का निर्यात भी नहीं के बराबर है।

मूल्य संवर्धन को कुटीर उद्योग के रूप में अपनाने के फायदे

- फल व सब्जियों की ''शेल्फ लाइफ'' बढ़ाना, अर्थात् लम्बे समय तक खराब होने से बचाए रखना।
- बेमौसम भी फल व सब्जियों की उपलब्धता।
- प्रसंस्करित सामग्री कम स्थान घेरती है, जिससे इनका आसानी से आयात व निर्यात किया जा सकता है।
- कुटीर उद्योग स्थापित कर आय सृजन करना।
- अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं को रोजगाार उपलब्ध करवाना।
- इस कार्य की शुरुआत हेतु अधिक पूंजी निवेश तथा विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। एक बार कुटीर या लघु उद्योग के रूप में आरम्भ कर बाद में किसी भी स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।

यदि देश का प्रत्येक कृषक यह संकल्प ले कि उसके खेत में उगने वाली एक भी सब्जी व फल नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, एक–एक पीस को चुनकर उसका मूल्य संर्वधन कर अधिकाधिक लाभ कमाया जाएगा, तो देश में फैली भुखमरी तथा कुपोषण की समस्या के साथ–साथ निर्धनता तथा बेरोजगाारी जैसी भयावह समस्याओं से निजात पाई जा सकती है।

(लेखिका कृषि विज्ञान केन्द्र सरदारशहर में गृहविज्ञान की विषय विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : kavijain11@gmail.com

खेत में ही करें माइकोराइज़ा फफूंद का उत्पादन

आजकल यह महसूस किया जा रहा है कि रासायनिक कीट व फफूंदनाशक पर निर्भरता को न्यूनतम किया जाए। कृषि में जैविक स्रोतों का प्रयोग दिन-प्रति-दिन लोकप्रिय हो रहा है। खासकर कुछ ऐसे जीवाणुओं और फफूंद का उपयोग लोकप्रिय हो रहा है जो हमारी फसलों व पर्यावरण के लिए मित्र/लाभकारी साबित हुए हैं। ऐसा ही एक मित्र फफूंद वर्ग है माइकोराइज़ा। अनुमान है कि माइकोराइज़ा धरती पर पाए जाने वाले लगभग 80 प्रतिशत पेड़-पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने में सक्षम है। ए.एम. फफूंद का पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने के उपरांत पौधों की रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि पाई गई है।

गीता सिंह

कृषि में जैविक स्रोतों का प्रयोग दिन-प्रति-दिन लोकप्रिय हो रहा है। खासकर कुछ ऐसे जीवाणुओं और फफूंद का उपयोग लोकप्रिय हो रहा है जो हमारी फसलों व पर्यावरण के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। ऐसा ही एक मित्र फफूंद वर्ग है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा शब्द का अर्थ है माइको यानी कि फफूंद तथा राइज़ा अर्थात् पादप जड़। यह दर्शाता है कि किस प्रकार फफूंद व पादप मूल एक-दूसरे

पर आश्रित हैं। इस वर्ग में एण्डोमाइकोराइज़ा यानी कि वह फफूंद समूह सम्मिलित हैं जोकि न केवल भूमि में अपने कवक तन्तुओं का जाल बिछा लेता है अपितु पौधे की जड़ के भीतर भी सघन तरीके से विद्यमान होता है। इस एण्डोमाइकोराइज़ा वर्ग में तीन मुख्य उपवर्ग हैं जिनमें से आर्बस्कुलर माइकोराइज़ा अधिकांश पेड़–पौधों के साथ पाया जाता है।

अनुमान है कि माइकोराइज़ा धरती पर पाए जाने वाले लगभग 80 प्रतिशत पेड़–पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने में सक्षम है। यह फफूंद सभी किस्म की जलवायु वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई गई है। यही नहीं यह फफूंद विषम परिस्थितियों में भी (ऊसर, बंजर एवं सीमांत भूमि) में पाई गई है। यह फफूंद अधिकांश संवनी पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने में सक्षम है लेकिन चिनोपोडियेसी, क्रुसीफेरी, साइप्रेसी, जनकेसी और प्रोटियेसी के सदस्य पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं है। लगभग 83 प्रतिशत द्विबीजपत्री तथा 79 प्रतिशत एक बीजपत्री पौधे इस फफूंद से संक्रमित पाए गए हैं। आर्बस्कुलर माइकोराइज़ा फफूंद समूह के मुख्य सदस्यों में अकोलोस्पोरा, गाइगास्पोरा, ग्लोमस एनडोगोन मुख्य हैं। कवक तंतु का जाल मृदा में से पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, तांबा, जिंक, लौह तत्व इत्यादि तथा नमी को अवशोषित कर पौधों को उपलब्ध कराता है तथा इसके बदले में पौधों से शर्करा प्राप्त करता है। मिट्टी में से यह एक स्पंज की भांति पोषक तत्वों व नमी का अवशोषण करता है।

चूंकि यह फफूंद पौधों से सहजीवी संबंध स्थापित करती है इसलिए कवक तंतु जड़ों की पहुंच से दूर क्षेत्र से भी पोषक तत्व व नमी को सोखने में समर्थ होते हैं। यही कारण है कि यह फफूंद खाद, दलहन, अनाज, सब्जियों तथा बागवानी सरीखी सभी फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। इसका सकारात्मक असर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगाई जाने वाली अनेक फसलों जैसे मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, आलू आदि पर भी दिखाई पड़ा है। यह भी ज्ञात हुआ है कि यह फफूंद खाद कम उपजाऊ भूमि में अधिक सफल है। इसके उपचार से सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव से प्रभावित भूमि में भी अधिक कृषि पैदावार मिलती है।

ए.एम. फफूंद का पौधों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने के उपरांत पौधों की रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि पाई गई है। इसका मुख्य कारण है पौधों को सभी पोषक तत्वों और नमी की उपलब्धता में बढ़ोतरी के फलस्वरूप पादप स्वास्थ्य में वृद्धि। माइकोराइज़ा से संक्रमण के कारण पौधे व्यापक रूप से अपने जड़ तंत्र का विस्तार कर लेते हैं। यह जड़ का विस्तार असंक्रमित पौधों में नहीं देखा जाता।

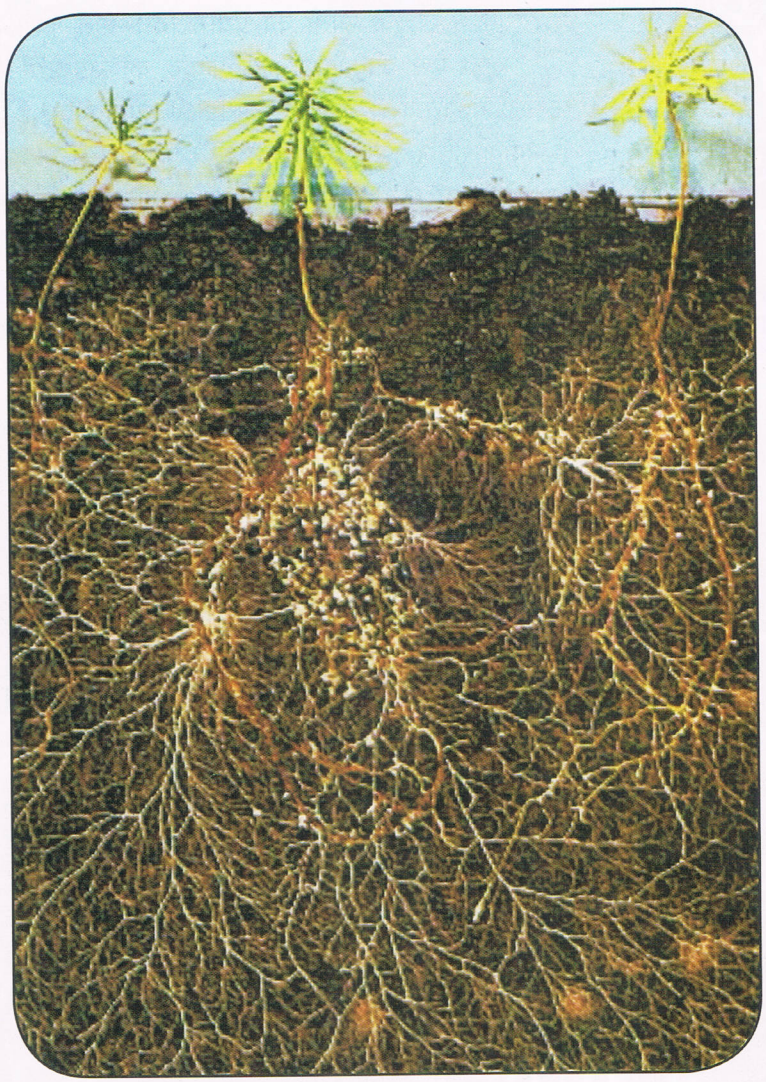

ए.एम. फफूंद के लाभ

मृदा की संरचना में सुधार होता है जिससे भूमि की जल–धारण क्षमता बढ़ जाती है। फफूंद के बाहरी हाइफा जाल मिट्टी को बांधने में सहायक होते हैं।

पौधों की जड़ों के आसपास सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा फास्फोरस विलय की क्रिया तेज हो जाती है। इस तरह परोक्ष रूप से मृदा की उर्वराशक्ति बढ़ती है तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी होती है।

ए.एम. का प्रयोग करने पर पर्यावरण प्रदूषण का असर पौधों पर कम या समाप्त हो जाता है।

ए.एम. फफूंद के उपयोग से प्रमुख, गौण तथा सूक्ष्म तत्वों की संतुलित एवं आसान उपलब्धता बनी रहती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, लौह, तांबा, जस्ता, कैल्शियम, गंधक, जिंक की संतुलित उपलब्धता के कारण वृक्षों में फूल एवं फलों के असमय गिरने में कमी आती है। यही नहीं ए.एम. फफूंद के संक्रमण से पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि देखी गई है। यह मुख्य तौर पर निम्नलिखित कारकों के द्वारा संभव है:

- माइकोराइज़ा संक्रमित पौधों में उचित मात्रा में पोषक पदार्थों व नमी की उपलब्धता से पौधे स्वस्थ रहते हैं तथा रोगाणुओं से लड़ने में सफल होते हैं।
- जड़ तंत्र तथा जड़ के ऊतकों में आकारिकी परिवर्तन के माध्यम से।
- एम.एम. संक्रमित पौधों में ऐसे जैव रासायनिक पदार्थों का उत्पन्न होना व उनका स्राव जो पौधों की प्रतिरोधी क्षमता में बढ़ोतरी करते हैं।
- जड़ के आसपास उपस्थित जीवाणुओं की किस्म में परिवर्तन जिससे पौधा रोग के आक्रमण को निष्क्रिय कर देता है।

ए.एम. फफूंद का उत्पादन किसान अपने खेत में भी कर सकते हैं।

सर्वप्रथम खेत (25 वर्ग मीटर) की अच्छे से जुताई कर उसमें कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया जा सकता है। इस क्रिया का उद्देश्य मिट्टी में उपस्थित हानिकारक रेंगने वाले कीड़ों, फफूंद खरपतवार के बीजों का नाश करना है। इस प्रक्रिया में कीटनाशी दवाइयों की संतुलित मात्रा का निर्धारण अति आवश्यक है क्योंकि सभी रासायनिक कीटनाशी जैसे कि कैप्टेन, तार्बोफ्योरान, मैलाथायान, फोरमोथायान आदि यदि संस्तुल मात्रा में प्रयोग की जाए तो यह न केवल हानिकारक खरपतवार कीड़ों का विनाश करती है अपितु ए.एम. फफूंद पर भी दुष्प्रभाव डालती है।

इस दिशा में भारतीय वैज्ञानिक श्रीनिवास तथा बग्याराज (1989) ने यह पाया कि यदि फारमोथाओन तथा मैलाथायोन कीटनाशियों का उपयोग कम मात्रा (50 प्रतिशत संस्तुत मात्रा) के अनुसार किया जाए तो यह हानिकारक कीट का सफाया करने में सक्षम है तथा इनका ए.एम. फफूंद के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। उन्होंने प्रयोगों से यह भी दर्शाया कि कैपटान तथा कारबोफ्यूरॉन का उपयोग 50 प्रतिशत संस्तुत मात्रा के अनुसार करने से ही ए.एम. फफूंद पर लाभकारी प्रभाव डालती है।

यदि जैविक विधि से ए.एम. फफूंद का उत्पादन करना हो अथवा यह कीटनाशी दवाईयां उपलब्ध न हो तो सूर्य की ऊर्जा द्वारा हानिकारक कारकों का विनाश करना चाहिए। दो से चार सप्ताह तक जोते हुए खेत को या तो खाली पड़ा रहने दें या पॉलीथीन की चादर से ढक दें। इस विधि में सौर उष्मा द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश काफी हद तक संभव है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि खेत में फफूंद के प्रजनन के लिए हानिकारक तत्वों का उन्मूलन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से हो चुका है, खेत ए.एम. फफूंद के गुणन के लिए तैयार है। अब स्ट्राटर टीके (यह टीका किसी भी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि संस्थान से कम कीमत में उपलब्ध होता है) डालने के बाद उचित पौधे के बीज की बुवाई कर दी जाती है। यदि स्ट्राटर टीके की मात्रा कम हो तो नर्सरी में भी फफूंद के टीके से पौध को संक्रमित किया जा सकता है।

एक–दो हफ्ते में संक्रमित फफूंद से पौध तैयार होने के उपरांत खेत में रोपकर फफूंद का गुणन किया जा सकता है। यह ध्यान योग्य बात है कि पौधों पर फूल आने पर फूलों

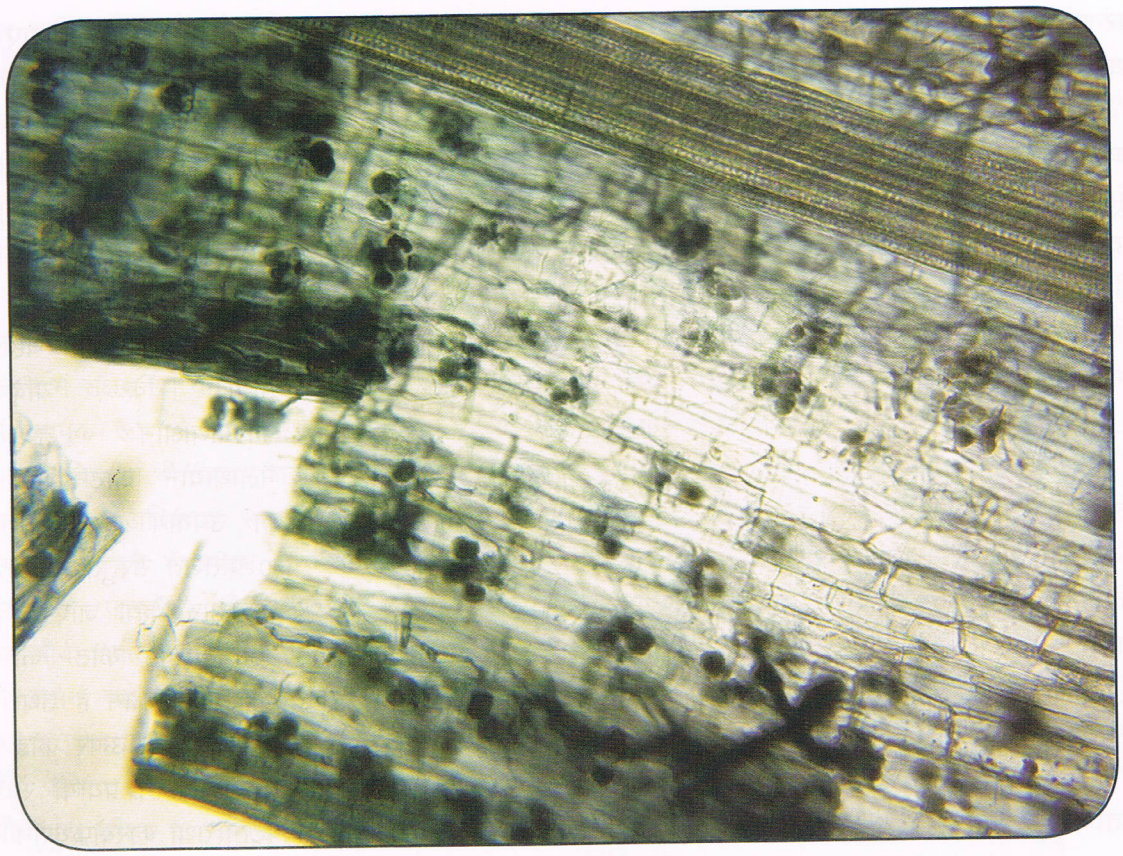

को तोड़ लेना चाहिए अन्यथा पककर बीज खेत में ही (मिट्टी) गिरकर पुनः उग सकते हैं या खरपतवार की समस्या पैदा कर सकते हैं। फसल/पौधों के ऊपरी भाग तना, पत्तियों, शाखाओं को काटकर किसी अन्य प्रयोग में लिया जा सकता है तथा जड़ों और उनके आसपास की मिट्टी जिसमें कवक तंतु तथा स्पोर प्रचुर मात्रा में हैं, टीके के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिक अधोल्चा एवं साथियों ने कम अवधि में ए.एम. फफूंद के गुणन के लिए उभरी हुई क्यारियों (60 सें. मी. X 60 सें.मी. X 16 सें.मी.) का निर्माण किया। इस विधि में रेस्ड बेड़ (उभरी हुई क्यारियां) मिट्टी तथा पत्तियों की कम्पोस्ट खाद मिश्रण (2 : 1 के अनुपात में) से क्यारियों का (60 सें.मी 60 सें. मी. 16 सें.मी.) निर्माण कर उसमें फफूंद के गुणन के लिए टीकाकरण किया। खांचा अथवा खूंड में फफूंद के टीके का प्रयोग किया तथा उभरी हुई बेड्स पर उचित पौधे (मक्का, गेहूं, बाहिया घास, ज्वार) आदि उगाए। इस विधि से एक ही फसल चक्र में अधिक मात्रा में जड़ों का संक्रमण होने के कारण अधिक प्रभावशाली टीके का उत्पादन संभव है तथा इस टीके के प्रयोग से 51–119 प्रतिशत पैदावार में वृद्धि पाई गई।

(लेखिका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक हैं)
ई–मेल : geetasingh63@yahoo.co.in

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

गुणों की खान है अदरक

अदरक खाने में भले ही थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह रामबाण है। एक ग्राम अदरक कई रोगों को दूर भगाने की क्षमता रखती है तभी तो जन्म के साथ ही इसका प्रयोग शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसे सोंठ मिले पानी में नहलाया जाता है। आयुर्वेद के चिकित्साशास्त्र में अदरक को दृष्य कहा गया है यानी अदरक में सांड जैसी शक्ति होती है। इस कहावत के पीछे मूल तर्क अदरक की शक्ति को लेकर है। यह पूरी तरह से जीवनरक्षक है। यह सर्दी-जुकाम के अलावा रक्त संचार, हृदय संबंधी रोगों में भी फायदेमंद होती है।

साधना यादव

अदरक एक भूमिगत रूपान्तरित तना है। यह मिट्टी के अन्दर क्षैतिज बढ़ता है। इसमें काफी मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है जिसके कारण यह फूलकर मोटा हो जाता है। इसके पत्ते 15–30 सेमी. लंबे होते हैं। इसके फूल कोण की तरह पीले गुलाबी सफेद कलियों जैसे होते हैं। अदरक उष्ण–कटिबन्धीय मसाला फसल है। सामान्यतया अदरक के लिए गर्मी और नमीयुक्त मौसम उपयुक्त रहता है फिर भी 1500 मीटर की ऊँचाई में केरल की घाटी में अदरक की खेती ज्यादा की जाती है। बीजों के रोपण से लेकर अंकुरण तक हल्की वर्षा और बढ़वार की स्थिति में बीच–बीच में भारी वर्षा अच्छी होती है। हालांकि अदरक की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट और ठोस चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है।

अदरक का प्रयोग

भारत में अदरक का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। कच्चे सलाद, सब्जी, अचार एवं चाय शर्बत के रूप में इसका प्रयोग वर्षों से होता आ रहा है। यह दो रूपों में मिलती हैं–कच्ची एवं सूखी। सूखे हुए अदरक को सोंठ कहते हैं। इन दोनों की प्रकृति गर्म होती है। अदरक को अपने खाद्य पदार्थों में यदि हम शामिल कर लें तो कई बीमारियों को भगा सकते हैं। यह भोजन को पौष्टिक बनाने के साथ ही स्वादिष्ट भी बनाता है। इसे सलाद में कच्चा भी खाया जा सकता है।

सौ ग्राम अदरक में पाए जाने वाले तत्व

पानी	60 फीसदी
कैल्शियम	20 फीसदी
प्रोटीन	2.4 फीसदी
रेशा	2.4 फीसदी
कार्बोहाइड्रेट	12.3 फीसदी
कैलोरी	67 फीसदी
वसा	0.9 फीसदी
आयरन	2.6 फीसदी
खनिज	1.2 फीसदी
खनिज	1.2 फीसदी
फास्फोरस	60 मिलोग्राम
विटामिन सी	6 मिलीग्राम
विटामिन बी काम्प्लेक्स आदि अल्पमात्रा में	

अदरक उत्पादक देश

भारत	420000
चीन	285000
इंडोनेशिया	177000
नेपाल	158905
नाइजीरिया	138000
बांग्लादेश	57000
जापान	42000
थाईलैंड	34000
फिलीपींस	28000
श्रीलंका	8270
कुल 1387445 (मात्रा टन में)	

(स्रोतः फूड एवं एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार)

अदरक के प्रमुख बाजार

अदरक का सबसे अधिक उपयोग सऊदी अरब में होता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और नीदरलैंड में भी इसकी काफी खपत है। हालांकि भारत अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है।

चीनी अदरक

भारत में पाए जाने वाले अदरक की अपेक्षा चीन में पैदा किए जाने वाले अदरक का स्वाद भी हल्का होता है और वह अधिक रेशेदार होता है। अधिकांश चीनी अदरक जापान को निर्यात किया जाता है। भारत के बाद चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

ऑस्ट्रेलियाई अदरक

ऑस्ट्रेलियाई अदरक में भारतीय अदरक की अपेक्षा गंध कम होती है। इसका स्वाद कुरकुरा–सा होता है।

नाइजीरियाई अदरक

नाइजीरिया अदरक की खेती के मामले में पांचवें स्थान पर है। यहां की अदरक ज्यादातर मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है।

जमैका अदरक

जमैका अदरक सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है। यह पूरी तरह से भारतीय अदरक जैसा है। इसकी खुशबू और स्वाद दोनों बेजोड़ है।

ये किस्में बेहतर

भारत एवं विदेशों में फसल व गुणवत्ता की दृष्टि से अदरक की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं।

इनमें सौंठ–मारना, वायनाटु, मानन्तवाटी, वल्लनाटु, एरनाटु, कुरूघंपटि आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा सुप्रभा सुरुचि, सुरभि आदि प्रमुख प्रजातियां हैं।

बुवाई का समय

अदरक की बुवाई क्षेत्र विशेष के मौसम के अनुसार मई–जून में की जाती है। जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर इसकी बुवाई अप्रैल से मई के मध्य तक करनी चाहिए, परन्तु जहां पर वर्षा आधारित फसल उगानी हो, वहां पर पहली वर्षा के ठीक बाद बुवाई करनी चाहिए। बुवाई के समय का उपज पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

अलग है नाम

अदरक को जहां हिंदी, पंजाबी और उर्दू में अदरक के ही नाम से जाना जाता है वहीं भोजपुरी में इसे आदी कहते हैं। इसी तरह बंगाली में आदा, गुजराती में आदू, कनाडा में हाशी शुंती, तेलुगू में आल्लाम, तमिल में इंजी, मराठी में अलाय, नेपाली में अदुआ, बर्मा में ज्वाइन, बांग्लादेश में आद्या, इंडोनेशिया में वेडंग जाहे कहा जाता है।

अदरक एक गुण अनेक

कब्ज भगाए

कहा जाता है कि पेट दुरुस्त रहे तो तमाम रोग अपने आप दूर भाग जाते हैं। पेट की गड़बड़ियों के कारण ही हम विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं और पेट की गड़बड़ी का प्रमुख कारण है कब्ज। हम जो कुछ भी खाते हैं अगर वह सही ढंग से पचे नहीं तो अपच हो जाती है। अपच से ही कब्ज होती है और यह कब्ज बनती है विभिन्न रोगों का कारण। ऐसे में हम इस बात से परेशान रहते हैं कि जो कुछ भी खाए वह कैसे जल्द से जल्द पचे। इस चिंता को आसान करती है अदरक। भोजन से पहले एक चम्मच अदरक को नींबू और सेंधा नमक छिड़कर खाएं तो कब्ज होने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर कब्ज हो गई हो तो अदरक के पतले–पतले चिप्स बना लें। फिर उसे सुबह–शाम कम से कम पांच दिन तक गुड़ के साथ सेवन करें। अगर पुरानी कब्ज है तो अदरक का सेवन नियमित कर दें। इसे सलाद के रूप में खाने से भी फायदा होता है।

जिन लोगों को अदरक सीधे खाना अच्छा नहीं लगता है वे सब्जी में बारिक काट कर डाल दें।

भूख बढ़ाए अदरक

कई बार बुखार के कारण भी भूख नहीं लगती है। मन विचलित–सा रहता है। मुंह फीका–फीका रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भूख लगती है लेकिन खाना खाने में रुचि नहीं रहती है। ऐसे में पांच ग्राम अदरक को हल्की आंच में भून लें। फिर इसे मुंह में रखकर चूसते रहें। जिन लोगों को इसका रस ज्यादा तीखा लगे वे गुड़ के साथ भी सेवन कर सकते हैं। भूना हुआ अदरक भूख बढ़ाने के साथ ही मन को शांति प्रदान करता है।

खांसी दूर भगाए

सर्दी के मौसम में खांसी ज्यादा परेशान करती है। वृद्ध एवं बच्चों पर खांसी का दबाव अधिक होता है। ऐसे लोगों के लिए अदरक रामबाण है। अगर आप कई तरह की दवाएं प्रयोग कर चुके हैं और खांसी नहीं जा रही है तो भी इस नुस्खे को आजमाने में पीछे न रहें। यह कफ को नष्ट करती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी करती है। जिन लोगों को खांसी आ रही हो वे अदरक व प्याज का रस एक–एक चम्मच मिलाकर हल्का गर्म करें। इसे दिन में दो से तीन बार सेवन करें। सोते समय इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। रस को लेने के बाद कोशिश करें कि पानी न पीना पड़े। इसका प्रयोग नियमित कम से कम पांच दिन तक करें।

सर्दी–जुकाम

अगर आप सर्दी–जुकाम से परेशान हैं तो भी आपके लिए अदरक सबसे उपयुक्त है। अदरक का काढ़ा बनाकर दिन में कम से कम तीन बार लें। साथ ही इसकी भांप लेने से ज्यादा फायदा होता है। अगर आप काढ़ा नहीं पी सकते हैं तो नियमित रूप से चाय में अदरक डाल कर पी सकते हैं। सर्दी

के मौसम में चाय में अदरक डाल कर पीने से ज्यादा फायदा मिलता है। सर्दी से बचाव होता है वहीं कफ की समस्या भी जल्दी नहीं आती है।

स्वर विकार

स्वर विकार में भी अदरक काफी लाभदायक है। अदरक की एक गांठ लेकर उसमें छोटे–छोटे छेद बना दें। फिर इन छिद्रों में एक सुई की सहायता से हींग भरे। फिर इस पर पान का पत्ता लपेट दें। पान के पत्ते के ऊपर हल्की मिट्टी का लेप कर धीमी आंच में सेंक लें। मिट्टी के लाल होने के बाद उसे खुरच कर हटा दें। फिर हींग भरी अदरक को पीस लें। करीब पांच–पांच ग्राम की गोलियां बना लें और उसका सेवन करें। इन गोलियों को खाने से आवाज का फटना, गले का बैठ जाना आदि अपने आप ठीक हो जाता है।

चोट लगने पर करें अदरक का प्रयोग

सूखी अदरक यानी सोंठ को आकाश बेल के साथ मिलाकर पीस ले। बारीक चूर्ण को गाय के घी में हल्का भूनें। फिर इसे ठंडा हो जाने दें। जब यह मरहम ठंडा हो जाए तो उसे घाव पर लगाएं। धीरे–धीरे घाव ठीक हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा।

रक्त शुद्धि

अदरक रक्त को शुद्ध भी बनाता है। इसका नियमित प्रयोग करने से फोड़े–फुंसियों से मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर काफी रहता है वे नमक और नींबू के साथ इसका नियमित प्रयोग करें तो लाभ मिलता है। रक्त संचार की प्रक्रिया में यह सुधार लाता है।

स्मरणशक्ति वर्द्धक

कई बार हमें भूलने की समस्या हो जाती है। हम कोई भी सामान एक स्थान पर रखकर भूल जाते हैं। बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ लोग कई तरह की दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसे में यदि याददाश्त बढ़ानी ही है तो अदरक का प्रयोग करें। खाने–पीने की चीजों में नियमित रूप से अदरक का सेवन करने से याददाश्त अपने आप ठीक हो जाती है।

आलस्य दूर भगाए

कई बार हम न चाहते हुए भी आलस्य से घिरे रहते हैं। ऐसे में अदरक की चाय पीने से तत्काल तरोताजा महसूस करते हैं। जब भी आलस्य और सुस्ती लगे अदरक की चाय पीनी चाहिए। फायदा तत्काल दिखाई पड़ेगा।

(लेखिका विज्ञान की छात्रा हैं।)

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी खंड-4, तल-7

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

सफलता की कहानी

सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन बनाने वाले गोपाल दवे

सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन का आविष्कार

ओम मिश्रा

जोधपुर की लूणी पंचायत के सालावास गांव के कृषि मिस्त्री गोपाल दवे ने ऑटोमेटिक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन बनाकर किसानों के लिए चमत्कार कर दिया। पहले किसानों को खेतों में बिजाई और खाद डालने में काफी दिक्कतें आती थी। इस यंत्र ने किसानों को बड़ी राहत दिलाई है। इस मशीन से किसान के समय व श्रम की बचत तो होती ही है, साथ ही वैज्ञानिक ढंग से खेतों में बीजों की बुवाई तथा खाद देने की समस्या को भी हल किया गया है। इससे कृषकों की कृषि उपज पहले से तीस प्रतिशत तक बढ़ी है। इस मशीन की उपयोगिता को देखते हुए कृषि विभाग राजस्थान सरकार ने किसानों को मशीन खरीदने पर पचास प्रतिशत अनुदान देना शुरू कर दिया है।

परंपरागत किसान परिवार में जन्मे अड़तालीस वर्षीय गोपाल दवे उर्फ गुरू ने बीस वर्ष पहले कास्टिंग का काम शुरू किया था। कास्टिंग का काम करते हुए उनके मन में कृषकों के लिए बुवाई मशीन बनाने का विचार आया। बुवाई की लकड़ी की मशीन 'जुगाड़' से इस यंत्र की रूपरेखा तैयार की गई। पहले एल्यूमीनियम का कास्ट मॉडल बनाया बाद में कई प्रयोग व परिवर्तन के बाद उन्होंने दो मॉडल बनाए। जब इन दोनों मशीनों को किसानों ने प्रयोग किया तो उसे उपयोगी पाया। गोपाल ने अगले साल इस मशीन के तीस नग बनाकर किसानों को लागत मूल्य पर प्रयोग करने के लिए दिए। सभी ने न केवल इस यंत्र को सराहा बल्कि और यंत्र बनाकर देने की बात करने लगे। तब गोपाल ने कई परिवर्तन कर इस बिजाई यंत्र को ऑटोमेटिक बनाया। यह सन् 1997 की बात है।

ऑटोमेटिक सीड ड्रिल मशीन के रूप में आने पर इस मशीन की मांग किसानों में और भी ज्यादा होने लगी। वर्ष 2004 में गोपाल ने स्वयं को इस बिजाई यंत्र के लिए समर्पित कर दिया। दूसरे कास्टिंग के काम बंद कर वह इसके नये स्वरूप को विकसित करने में लग गए। अंततः वर्ष 2007 में पूर्ण परिवर्धित संस्करण वाला उनका यह यंत्र किसान के बीच आया, तो सभी ने उसको सराहा। वह चाहते थे कि यंत्र तकनीकी स्तर पर सर्वोत्तम हो इसलिए अपने यंत्र को लेकर किसान के खेत में जाते और उससे खुद बिजाई करते। इस तरह प्रयोग करने पर उन्हें लगा कि बीजों की बुआई के साथ खाद की आपूर्ति भी इसी यंत्र से की जा सकती है। अतः यंत्र में कुछ परिवर्तन कर खाद डालने के लिए भी उपयोगी बनाया गया। इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मशीन से सभी किस्म के पचास ग्राम बीज की बुवाई भी आसानी से की जा सकती है। इससे बीज बेकार नहीं जाते हैं। इस मशीन से मिश्रित बीजों की बुवाई भी की जा सकती है तथा बुवाई के साथ वांछित मात्रा में बीज के साथ खाद भी डाली जा सकती है।

गोपाल कहते है कि – "छोटे–बड़े सभी किसान मेरे यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। बीजों की विशिष्ट मात्रा में समानान्तर तथा जरूरत के अनुसार बिजाई करने में यह मशीन उपयोगी सिद्ध हो रही है। सभी प्रकार के बीजों की बिजाई इससे आसानी से की जा सकती है। इस मशीन में 6, 7, 8 और 9 हल की सुविधा है। जैसे ही मशीन का पॉवर व्हील जमीन के संपर्क में आता है मशीन में लगे स्टॉक ड्रम से वांछित अनुपात में बीज आने लगते हैं। इसमें भी ट्रैक्टर मुड़ते समय ऊपर होने के कारण बिजाई नहीं होती है। इससे बीज बेकार नहीं जाता है।

इस मशीन से सभी प्रकार के बीजों की बिजाई की जा सकती है। इससे मिक्सचर बुवाई के साथ मूंग, मोठ, मक्की, गेहूं, सरसों, बाजरा, जौ, अरण्डी, मूंगफली की बुवाई किसान आसानी से कर रहे हैं। मशीन की मुख्य बॉडी एल्युमीनियम की बनी होने के कारण इसमें जंग नहीं लगती है। इस मशीन का प्रयोग करने वाले किसानों को खाद और बीज डालने के लिए दो बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस यंत्र से खाद और बीज दोनों को कृषि भूमि पर संतुलित मात्रा में डाला जा सकता है। हल पर लगी ड्रिल के साथ चक्र जब घूमता है, तो हल से जुड़ी नालियों से खाद तथा बीज मिट्टी में स्वतः ही दबने लग जाते हैं। इस यंत्र को राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान की है। यंत्र के डिजाइन का पेटेंट भी कराया हुआ है। मशीन की खरीद पर किसानों को पचास प्रतिशत का अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है। राजस्थान से बाहर भी अन्य राज्यों के कृषकों ने इस मशीन को पसंद किया है।"

ऑटोमेटिक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन के काम करने की विधि के बारे में गोपाल बताते हैं कि "उपयोग की दृष्टि से मशीन की तकनीकी बहुत आसान है। इस मशीन में साधारण मैकेनिकल सिस्टम के तहत एक टेपर बर्मा दिया गया है। उसे ऊपर की तरफ करने पर बीजों की मात्रा में कमी आती है और उसे नीचे करने पर बीजों की मात्रा बढ़ जाती है। इससे बीजों की मात्रा निर्धारित की जाती है। मशीन के लट्टूनुमा भाग में टोलेट चक्र पद्धति का प्रयोग किया गया है। लट्टूनुमा भाग में एक छेद है उसमें चाबी लगाकर पॉवर व्हील को घुमाया जाता है। पॉवर व्हील को सीधा घुमाते ही बर्मा सेट हो जाता है। नम्बर को ऊंचा–नीचा कर बीजों की मात्रा सुनिश्चित कर ली जाती है। मशीन में बीज कंट्रोल ब्रश भी लगे हुए हैं। इससे बड़े तथा छोटे बीजों की बिजाई वांछित सेटिंग करके की जा सकती है। आठ ड्रिल वाली इस मशीन को किसानों तक पहुंचाने में ज्ञानोत्तर संस्थान जयपुर की भूमिका सराहनीय है। मशीन के लिए उन्होने पांच लाख का ऋण भी उपलब्ध कराया है।"

सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल यंत्र का मुख्य भाग

अन्य मशीनों की तुलना में अपनी मशीन की कुछ विशेषताएं बताते हुए गोपाल कहते हैं कि "इस मशीन से बाजरा, मोठ, तिल आदि की बुवाई एक साथ की जा सकती है जबकि अन्य मशीन में यह सुविधा नहीं है। इस मशीन से पचास ग्राम बीज की बुवाई भी की जा सकती है। जबकि अन्य मशीनों से बुवाई करने के लिए कम से कम 10 से

सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन के साथ गोपाल दवे (हाफ शर्ट पहने खड़े)

20 किलो बीज डालना पड़ता है तथा बुवाई करने के बाद भी दूसरी सीड ड्रिल मशीन में 2 से 4 किलो तक बीज शेष रह जाता है। केवल इस मशीन मे खेत के बार्डर पर (माट) बीज ऑटोमेटिक न गिरने का सिस्टम है। इससे किसानों का कीमती बीज बेकार नहीं जाता है । जबकि दूसरी मशीनों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अतः उनमें बीज बेकार चला जाता है। इसके अलावा मशीन की मुख्य बॉडी एल्युमीनियम की है। इससे मशीन में जंग लगने की संभावना नहीं रहती है एवं अन्य मशीनों की तुलना में हल्की भी चलती है।"

गोपाल दवे अपनी भावी योजनाओं के बारे में पूछने पर बताते हैं कि "मैं निराई–गुड़ाई करने वाली मशीन बनाने की योजना बना रहा हूं। इस मशीन से खेतों में काम करने वाली किसान महिलाओं को राहत मिलेगी। क्योंकि इससे उनका शारीरिक श्रम कम होगा। इस यंत्र की लागत कम से कम रहे, इसके लिए भी कोशिश कर रहा हूं। कृषि उपज की कटाई करने के लिए एक कटिंग मशीन बनाने पर भी काम कर रहा हूं। ये दोनों मशीनें शीघ्र ही बन जाएंगी। काम लगभग पूरा हो चुका है।"

इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं की चर्चा करने पर वह बताते हैं कि – "समस्याएं तो ढेर सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रयोगों के लिए धन का सबसे अधिक अभाव है। प्रयोग–दर–प्रयोग पैसे तो खर्च होते हैं। कई मॉडल बनाने पड़ते हैं। तब कही जाकर फाइनल मॉडल बन पाता है। इसमें समय व श्रम तो लगता ही है धन भी काफी लग जाता है। प्रयोगों में लगे इस धन का सीधा लाभ भी नहीं मिलता और खर्च भी एक साथ काफी हो जाता है। इस इनोवेशन को सफल बनाते हुए मेरी हालत भिखारियों से भी बुरी हो गई। इस सबके बावजूद मैंने नया करने की ठान रखी है। यदि मन में इच्छाशक्ति, लगन और त्याग हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। हरेक असफलता, सफलता की सीढ़ी है । कहने का तात्पर्य यह कि समस्याओं के बाद भी मैंने हार नहीं मानी है। जहां तक होगा किसानों के लिए कुछ नया बनाने का प्रयास ताउम्र करता रहूंगा।"

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

हमारे आगामी अंक

अक्तूबर, 2010 (विशेषांक) – पंचायती राज
नवंबर, 2010 – जनजातीय विकास
दिसंबर, 2010 – गांवों से शहरों की ओर पलायन
जनवरी, 2011 – गांवों में रोजगार
फरवरी, 2011 – सिंचाई व्यवस्था
मार्च, 2011 – खाद्य सुरक्षा
अप्रैल, 2011 – बजट 2011–12

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।

जागो ग्राहक जागो

'आसानी से धन' कभी नहीं मिलता

झूठे वादों के शिकार न बनें

भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता को सावधान करता है कि

- भारत के बैंकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को विप्रेषित/अंतरित करने का दावा करने वाली समुद्रपारीय संस्थाओं द्वारा सस्ती निधियों और बहुमूल्य वस्तुओं के काल्पनिक प्रस्तावों का शिकार न बनें।
- भारतीय निवासियों सहित अनजान विदेशी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से योजनाओं / प्रस्तावों में सहभागिता के लिए कोई विप्रेषण न करें।
- लॉटरी या लॉटरी जैसी योजनाओं में सहभागिता के लिए किसी भी स्वरूप में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक न तो व्यक्तियों / कंपनियों / न्यासों के नाम पर भारत में किसी खाते का रखरखाव करता है और न वितरण के लिए निधियाँ धारित करता है और ना ही किसी पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि को लॉटरी योजनाओं का प्रस्ताव करने और भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता है।

जनहित में जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
Website : www.rbi.org.in

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

उपभोक्ता इन नम्बरों पर भी सम्पर्क कर सकते हैं : राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन सं. (1800-11-4000 प्रशुल्क मुक्त) (बीएसएनएल/एमटीएनएल से)
011-27662955, 56, 57, 58 (सामान्य कॉल प्रभार लागू) (पूर्वाह्न 9.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक – सोमवार से शनिवार।

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55 / 2009–11

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : अरविन्द मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अग्रवाली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना